एम0 एस0 ए0 संख्या 12

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954
तथा उसके अन्तर्गत
बनाये गये नियम

(03 जुलाई, 2007 तक यथासंशोधित)

अगस्त, 2007/पौष 1929 (शक)

विषय-सूची पृष्ठ

1.	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (यथाशोधित)	3
2.	संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957	26
3.	आवास और टेलीफोन सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1956	49
4.	चिकित्सा सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1959	59
5.	संसद सदस्य (विदेश यात्रा के लिए भत्ते) नियम, 1960	60
6.	संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम, 1986	63
7.	संसद सदस्य (वाहन क्रय अग्रिम) नियम, 1986	64
8.	संसद सदस्य (कार्यालय - व्यय भता) नियम, 1988	74

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954
(1954 का अधिनियम संख्या 30)

(1955 के 9वें, 1958 के 55वें, 1964 के 26वें, 1969 के 25वें, 1972 के 29वें, 1974 के 65वें, 1975 के 48वें, 1976 के 105वें, 1977 के 33वें, 1979 के 27वें, 1981 के 21वें, 1982 के 35वें, 1982 के 61वें, 1983 के 22वें, 1985 के 74वें, 1988 के 60वें, 1989 के 30वें, 1993 के 3वें, 1993 के 48वें, 1995 के 18वें, 1998 के 28वें, 1999 के 16वें, 2000 के 17वें, 2001 के 46वें, 2002 के 34वें, 2004 के 9वें, और 2006 के 40वें अधिनियम द्वारा यथासंशोधित)

(22 मई, 1954)

संसद सदस्यों के [1][वेतन, भत्ते और पेंशन] का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य [1क][वेतन, भत्ता और पेंशन] अधिनियम, 1954 है।

(2) यह 1954 के जून के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं:- इस अधिनियम में,

(क) "समिति" से संसद के किसी एक सदन की कोई समिति अभिप्रेत है और दोनों सदनों की संयुक्त समिति इसके अन्तर्गत है;

[1ख][(कक) "आश्रित" से मृत सदस्य का निम्तलिखित कोई नातेदार अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(i) अवयस्क धर्मज पुत्र, और अविवाहित धर्मज पुत्री और विधवा माता; या

(ii) ऐसा कोई पुत्र या पुत्री जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो अशक्त है, यदि वह सदस्य की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर पूर्णतः आश्रित है; या

(iii) यदि सदस्य की मृत्यु के समय उसके उपार्जन पर पूर्णतः या भागतः आश्रित है, तो,-

(क) माता-पिता; या

---

[1] 1976 के अधिनियम 105 द्वारा प्रतिस्थापित -9-9-1976 से प्रभावी।

[1क] 1976 के अधिनियम 105 द्वारा प्रतिस्थापित -9-9-1976 से प्रभावी।

[1ख] 2004 के अधिनियम 9 द्वारा अन्तः स्थापित -9-1-2004 से प्रभावी।

(ख) अवयस्क भाई या अविवाहित बहन; या

(ग) विधवा पुत्रवधु; या

(ध) पूर्व मृत पुत्र का अवयस्क बालक; या

(ङ) पूर्व मृत पुत्री का अवयस्क बालक, जहां उक्त बालक के माता-पिता में से कोई जीवित न हो; या

(च) पितामह-पितामही, यदि सदस्य के माता-पिता जीवित न हों; या

(छ) ऐसा अन्य व्यक्ति, जो संयुक्त समिति द्वारा धारा 9 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;]

(ख) "सदस्य" से संसद के किसी एक सदन का सदस्य अभिप्रेत है [2][किन्तु इस अधिनियम में जैसे अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित है उसके सिवाय इसके अन्तर्गत]-

(i) मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) में यथापरिभाषित मंत्री नहीं है;

(ii) [2क][संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में, यथापरिभाषित विपक्षी नेता नहीं है; और]

(iii) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20) में यथापरिभाषित संसद का अधिकारी नहीं है;

(ग) "नया सदस्य" से ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के आरंभ के पश्चात् संसद के किसी सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है और इसके अन्तर्गत पुन: निर्वाचित या पुन: नामनिर्देशित सदस्य भी है;

(घ) "कर्तव्य पर रहते हुए निवास की अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान सदस्य ऐसे स्थान पर, जहां संसद के किसी सदन का सत्र सा समिति की बैठक होती है या जहां ऐसे सदस्य की हैसियत में उसके कर्तव्य से संबंधित कोई अन्य कार्य किया जाता है वहां वह ऐसे सत्र या बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या ऐसा अन्य कार्य करने के लिए उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए निवास करता है, और इसके अन्तर्गत:-

(i) संसद के किसी सदन के सत्र की दशा में उस सत्र के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्ववर्ती तीन दिन से अनधिक ऐसे निवास की अवधि तथा [2ख][ऐसी तारीख जिसको संसद का सदन अनिश्चित काल के लिए या सात दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है] के ठीक पश्चात्वर्ती तीन दिन से अनधिक ऐसे निवास की अवधि; और

---

[2] 1958 के अधिनियम 55 द्वारा प्रतिस्थापित -30-12-1958 से प्रभावी।

[2क] 1977 के अधिनियम 33 द्वारा अन्त:स्थापति -18-8-1977 से प्रभावी।

[2ख] 1964 के अधिनियम 26 द्वारा प्रतिस्थापित -01-06-1964 से प्रभावी।

(ii) समिति की बैठक या किसी अन्य कार्य की दशा में, समिति के कार्य या अन्य कार्य के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्ववर्ती दो दिन से अनधिक ऐसे निवास की अवधि तथा समिति के कार्य या अन्य कार्य की समाप्ति के ठीक पश्चात्वर्ती दो दिन से अनधिक ऐसे निवास की अवधि शामिल है।

स्पष्टीकरण - कोई सदस्य जो आमतौर पर ऐसे स्थान पर निवास करता है जहां संसद के सदन का सत्र या समिति की बैठक होती है या जहां ऐसे सदस्य की हैसियत में उसके कर्तव्यों से संबंधित कोई अन्य कार्य किया जाता है, वहां उस सत्र या बैठक की अवधि या अन्य कार्य करने में लगे समय के लिए (जिसमें ठीक पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती तीन या दो दिन सम्मिलित है) उस सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि ऐसे सत्र या ऐसी बैठक जो भी मामला हो में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या ऐसे अन्य कार्य में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थान पर निवास करता है।

(ङ) "पदावधि" से -

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ में सदस्य है, वह अवधि अभिप्रेत है जो अधिनियम के प्रारम्भ से लेकर सदस्य के स्थान रिक्त करने की तारीख को समाप्त होती है;

[2ग][(ख) किसी नए सदस्य के संबंध में,-

(i) जहां ऐसा नया सदस्य द्विवर्षीय निर्वाचन में निर्वाचित राज्य सभा का सदस्य है या उस सदन में नामनिर्दिष्ट किया गया है वहां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 71 के अधीन उसके नाम को राजपत्र में अधिसूचित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली; या

(ii) जहां ऐसा नया सदस्य नई लोक सभा गठित करने के प्रयोजन के लिए किए गए आम निर्वाचन में निर्वाचित लोक सभा का सदस्य है वहां उक्त अधिनियम की धारा 73 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली; या

(iii) जहां ऐसा नया सदस्य संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का उस सदन के लिए उपनिर्वाचन में निर्वाचित सदस्य है या लोक सभा के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य है वहां, उक्त अधिनियम की धारा 67क में निर्दिष्ट निर्वाचन की तारीख से या उसके नामनिर्देशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली जैसा भी मामला हो,

और ऐसे प्रत्येक मामले में उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है जब सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है।]

3. वेतन तथा दैनिक भत्ते - सदस्य अपनी सम्पूर्ण पदावधि के दौरान [2घ][सोलह हजार रूपए प्रतिमास की दर से] वेतन [3][तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन] कर्तव्य पर रहते हुए निवास की किसी भी अवधि के दौरान [4][प्रतिदिन एक हजार रूपये की दर से] भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

[2ग] 1976 के अधिनियम 105 द्वारा प्रतिस्थापित -09-09-1976 से प्रभावी।

[2घ] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा प्रतिस्थापित -14-09-1958 से प्रभावी।

[3] 1958 के अधिनियम 55 द्वारा प्रतिस्थापित -30-12-1958 से प्रभावी।

[4] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा प्रतिस्थापित -14-09-1958 से प्रभावी।

[4क][परन्तु यह कि कोई भी सदस्य पूर्वोक्त भत्ते का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि यह सदन के उस सत्र के उन सभी दिनों (बीच में आने वाली उन छुट्टियों को छोड़कर जिनके लिए इस तरह के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है) जिनके लिए उस भत्ते का दावा किया जाता है, लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय द्वारा, जैसी भी स्थिति हो इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करता है।]

[4ख][परंतु यह और कि इस धारा में विनिर्दिष्ट वेतन और भत्ते की दरें 14 सितम्बर, 2006 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या इसके पुनर्निर्धारण होने तक, जो भी बाद में हो, प्रभावी होंगी।]

4. यात्रा भत्ता - (1) प्रत्येक सदस्य को, संसद के किसी सदन के सत्र या किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अपने प्रायिक निवास स्थान से उस स्थान तक जहां, ऐसा सत्र या ऐसी बैठक होने वाली हो या अन्य कार्य किया जाने वाला हो तथा ऐसे स्थान से अपने प्रायिक निवास स्थान तक वापसी के लिए उसकी [5][भारत में] की गई प्रत्येक यात्रा की बाबत-

(क) यादि यात्रा रेल द्वारा की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए [6][पहले] दर्जे के एक टिकट और दूसरे दर्जे के एक टिकट का किराया दिया जाएगा चाहे सदस्य ने वास्तव में किसी भी दर्जे में यात्रा की हो;

(ख) यदि यात्रा वायुमार्ग द्वारा की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के वायुयान के 1¼ टिकट का किराया दिया जाएगा;

(ग) यदि यात्रा या उसका कोई भाग रेल या वायुमार्ग द्वारा नहीं किया जा सकता है तो -

[7][(i) जहां यात्रा या उसका कोई भाग स्टीमर द्वारा किया जाता है, वहां प्रत्येक ऐसी यात्रा या उसके भाग के लिए स्टीमर में उच्चतम दर्जे के 1⅗ टिकट का किराया (भोजन रहित) दिया जाएगा या यदि कोई नियमित स्टीमर-सेवा नहीं है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा या उसके किसी भाग के लिए उतनी रकम दी जाएगी, जो धारा 9 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निहित की जाए;

(ii) जहां यात्रा या उसका कोई भाग सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है, वहां प्रत्येक ऐसी यात्रा या उसके भाग के लिए [8][तेरह रूपये प्रति किलोमीटर की दर से] सड़क मील भत्ता दिया जाएगा:

[4क] 1993 के अधिनियम 48 द्वारा अन्त:स्थापित -09-06-1993 से प्रभावी।

[4ख] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा अन्त:स्थापित -14-09-2006 से प्रभावी।

[5] 1964 के अधिनियम 26 द्वारा अन्त:स्थापित -01-06-1964 से प्रभावी।

[6] 1955 के अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्थापित -07-04-1955 से प्रभावी।

[7] 1958 के अधिनियम 55 द्वारा प्रतिस्थापित -30-12-1958 से प्रभावी।

[8] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा प्रतिस्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

[8क][परन्तु जहां किसी सदस्य की पत्नी या पति, यदि कोई है, संसद के बजट सत्र में दो बार और संसद के प्रत्येक अन्य सत्र के दौरान एक बार ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग ऐसे सदस्य के साथ के बिना सड़क मार्ग से करती है या करता है, जिसकी बाबत ऐसी पत्नी या पति को सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली तक आने और वापस जाने के लिए रेल या वायुमार्ग अथवा भागतः वायुमार्ग और भागतः रेल से यात्रा करने के लिए धारा 6ख की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात किया गया है, वहां इस उपखंड के अधीन विहित सड़क मील भत्ता उसे ऐसी यात्रा या उसके भाग के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:]

[8ख][परन्तु यह और कि जहां कोई सदस्य दिल्ली में किसी हवाई अड्डे से और उस तक सड़क द्वारा यात्रा करता है तो उसे ऐसी प्रत्येक यात्रा के लिए न्यूनतम एक सौ बीस रूपए की रकम संदत्त की जाएगी।]

[8ग][परंतु यह भी कि इस उपधारा के खंड (ग) के उपखंड (दो) में विनिर्दिष्ट दर संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006, के प्रवृत्त होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।]

स्पष्टीकरण- इस उप-धारा के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए "यात्रा" के अन्तर्गत रेल स्टेशन, पत्तन या हवाई अड्डे से, सदस्य के प्रायिक निवास स्थान तक या यथास्थिति जहां संसद के सदन का सत्र होने वाला है या समिति की बैठक होने वाली है या जहां कोई अन्य कार्य किया जाने वाला है, उस स्थान पर और वहां से सदस्य के निवास तक आने-जाने की यात्रा है।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा सदस्य, जो रेल या स्टीमर द्वारा जुडे़ हुए स्थानों के बीच, सड़क मार्ग द्वारा पूर्णतः या अंशतः यात्रा करता है, तो उस यात्रा भत्ता, जो उसे रेल या स्टीमर द्वारा यथास्थिति यात्रा करने पर ग्राह्म होता, के बदले, उप-धारा (1) के खंड (ग) के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट मील भत्ता ले सकेगा:

[8घ][परन्तु ऐसे सदस्य द्वारा सम्पूर्ण यात्रा के लिए ली गई यात्रा भत्ता की कुल रकम, ऐसी रकम से अधिक नहीं होगी, जो यदि, वह यथास्थिति, रेल या स्टीमर से ऐसी यात्रा करता तो उसे अनुज्ञेय होती:

परन्तु यह और कि पहला परन्तुक केवल ऐसी यात्रा को ही लागू होगा जहां यात्रा के स्थान एक्सप्रेस, मेल या सुपरफास्ट रेल गाड़ी द्वारा जुड़े हुए हैं।]

[8ङ][परन्तु यह भी कि पहला परंतुक उस सदस्य पर लागू नहीं होगा जो राज्य सभा के सभापति या लोक सभा अध्यक्ष, जैसा मामला हो, की राय में ऐसा करने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ हो और वायुमार्ग या रेलगाड़ी द्वारा यात्रा न कर सकता हो।]

[8क] 2000 के अधिनियम 17 द्वारा प्रतिस्थापित -07-06-2000 से प्रभावी।

[8ख] 1993 के अधिनियम 48 द्वारा अन्त: स्थापित-09-06-1993 से प्रभावी।

[8ग] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा अन्त:स्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

[8घ] 2000 के अधिनियम 17 द्वारा अन्त:स्थापित -07-06-2000 से प्रभावी।

[8ङ] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा अन्त:स्थापित -15.09.2006 से प्रभावी।

[8च][परन्तु यह भी कि किसी सदस्य के दिल्ली से तीन सौ किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करने की दशा में, वह या उसकी पत्नी/पति, उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए ऐसे यात्रा भत्ते के स्थान पर, जो उसे उस समय अनुज्ञेय होता तब उसने, यथास्थिति, रेल द्वारा या सड़क द्वारा ऐसी यात्रा की होती, उपधारा (1) के खंड (ग) के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट मील भत्ता आहरित कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि किसी सदस्य के अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्यों में निवास करने की दशा में वह या उसकी पत्नी/पति, उक्त राज्यों में से किसी में अपने निवास से निकटतम विमानपत्तन तक सड़क द्वारा की गई यात्रा के लिए उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मील भत्ता आहरित कर सकेगा।]

[9][(3) ऐसे सदस्य की हैसियत में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारत के बाहर की गई किसी यात्रा के संबंध में सदस्य को ऐसे यात्रा तथा दैनिक भत्ते संदाय किए जांएगे, जो धारा 9 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।]

[9क][(4) ऐसे किसी व्यक्ति को,-

(क) जो राज्य सभा के सदस्य के रूप में द्विवार्षिक निर्वाचन में निर्वाचित हुआ है, किंतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 71 के अधीन उसके नाम को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई; या

(ख) जो नई लोक सभा का गठन करने के प्रयोजन के लिए हुए साधारण निर्वाचन में लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है, किंतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951की धारा 73 के अधीन उसके नाम को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई; या

(ग) जो संसद के किसी सदन के सदस्य के रूप में उपनिर्वाचन में निर्वाचित हुआ है या संसद के किसी सदन के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट अधिसूचना या खंड (ग) के अधीन निर्वाचन या नामनिर्देशन से पूर्व दिल्ली आने के लिए उसके द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा की बाबत किराए के बराबर रकम का संदाय किया जाएगा:

परन्तु यदि यात्रा रेल या स्टीमर द्वारा की जाती है तो वह उस किराए या मील भत्ते की प्रतिपूर्ति किए जाने का हकदार होगा जिसके लिए कोई सदस्य हकदार होता है:

परन्तु यह और कि यदि वह यात्रा वायुमार्ग द्वारा करता है तो ऐसी यात्रा घारा 5 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट बत्तीस यात्राओं की गिनती करने के प्रयोजन के लिए सम्मिलित की जाएगी।]

[8च] 2004 के अधिनियम 9 द्वारा अन्त:स्थापित -09-01-2004 से प्रभावी।

[9] 1958 के अधिनियम 55 द्वारा अन्त:स्थापित -30-12-1958 से प्रभावी।

[9क] 2004 के अधिनियम 9 द्वारा अन्त:स्थापित -09-01-2004 से प्रभावी।

5. मध्यवर्ती यात्रा के लिए यात्रा भत्ता - [9ख][(1)] कोई सदस्य संसद के किसी सदन के सत्र या किसी समिति की बैठक के दौरान भारत में किसी स्थान को जाने के लिए पन्द्रह दिन के कम अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, वहां वह ऐसे स्थान को, ऐसी यात्रा के लिए और ऐसे स्थान से वापसी यात्रा के लिए -

(क) यदि यात्रा रेल द्वारा की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए चाहे सदस्य ने वास्तव में यात्रा किसी दर्जे से की हो। [10][पहले] दर्जे के एक टिकट के किराए के बराबर;

(ख) [11][यदि यात्रा जो समिति की किसी बैठक के दौरान की गई यात्रा है] वायु मार्ग द्वारा की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए वायुमार्ग के लिए टिकट के किराए के बराबर यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा:

परंतु यह तब जब तक कि ऐसे यात्रा भत्ते, ऐसे दैनिक भत्तों की उस कुल रकम से अधिक नहीं होंगे, जो यदि वह सदस्य उस प्रकार अनुपस्थित नहीं रहता, तो अनुपस्थिति के दिनों के लिए धारा 3 के अधीन से अनुज्ञेय होते:

[11क][परंतु यह और कि पहले परन्तुक की कोई बात लागू नहीं होगी यदि सदस्य भारत में किसी स्थान को जाने के लिए समिति की बैठक के दौरान एक से अनधिक बार वायुमार्ग से यात्रा करता है।]

[11ख][(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य किसी विभाग से संबंधित स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच [11ग][पांच दिन] से अनधिक के ऐसे अंतराल के दौरान, जब संसद का कोई सदन बजट सत्र के दौरान नियत अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है, भारत में किसी स्थान को जाने के लिए वायुमार्ग द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा के लिए यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा:

परन्तु ऐसे यात्रा भत्ते, वायुयान के किराए को छोड़कर, ऐसे दैनिक भत्तों की कुल रकम से अधिक नहीं होंगे, जो यदि वह सदस्य अनुपस्थित नहीं रहता तो अनुपस्थिति के दिनों के लिए धारा 3 के अधीन उसे अनुज्ञेय होते।]

[11घ][(2) प्रत्येक सदस्य ऐसे सदस्य की हैसियत में अपनी पदावधि के दौरान [11ङ][या तो अकेले या पति या पत्नी के साथ या साथियों या नातेदारों की किसी संख्या के साथ] भारत में किसी स्थान सें भारत में किसी अन्य स्थान को अपने द्वारा की गई प्रत्येक एकल यात्रा के लिए (जो धारा 4 या इस धारा की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक या धारा 6ग में निर्दिष्ट यात्रा से भिन्न है) वायुमार्ग के लिए टिकट किराए के बराबर रकम पाने को हकदार होगा:

[9ख] 1976 के अधिनियम 105 द्वारा पुनसंख्यकित -09-09-1976 से प्रभावी।

[10] 19के अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्थापित -01-04-1955 से प्रभावी।

[11] 19के अधिनियम 74 द्वारा प्रतिस्थापित -26-12-1985 से प्रभावी।

[11क] 19के अधिनियम 74 द्वारा प्रतिस्थापित -26-12-1985 से प्रभावी।

[11ख] 19के अधिनियम 18 द्वारा प्रतिस्थापित -31-03-1995 से प्रभावी।

[11ग] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा प्रतिस्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

[11घ] 19के अधिनियम 74 द्वारा प्रतिस्थापित -26-12-1985 से प्रभावी।

[11ङ] 19के अधिनियम 16 द्वारा प्रतिस्थापित -22-03-1999 से प्रभावी।

[11च][परंतु यह कि इस उप-धारा के अंतर्गत की गयी यात्राओं की कुल संख्या प्रति वर्ष चौतीस यात्राएं होंगी।]

[11छ][परंतु यह और कि जहां किसी सदस्य द्वारा वायुमार्ग से की जाने वाली यात्राएं [11ज][चौतीस से कम] है वहां उसके द्वारा न की गई ऐसी यात्राओं की संख्या पश्चात्वर्ती वर्ष के खाते में अग्रनीत हो जाएंगी।]

[11झ][परंतु यह भी कि किसी सदस्य की, पत्नी/पति या साथी यथास्थिति अकेला भारत में किसी स्थान से भारत में किसी ऐसे स्थान को, ऐसे सदस्य को देखने के प्रयोजन के लिए अधिकतम आठ वायुमार्ग द्वारा यात्रा कर सकेगा और ऐसी यात्रा उपधारा (2) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट [11ञ][चौंतीस] यात्राओं की गणना करने के प्रयोजन के लिए सम्मिलित की जाएगी।]

[11ट][परंतु यह भी कि यदि कोई सदस्य वायुमार्ग द्वारा कुल चौंतीस यात्राएं, जो एक वर्ष में उसे अनुमत्त हों, से अधिक यात्राएं करता है, तो उसे ऐसी आठ यात्राओं से अनधिक यात्राओं को अगले वर्ष में उसके खाते में जुड़नेवाली यात्राओं, जिसका वह हकदार है, से समयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है।]

[11ठ][उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए, किसी सदस्य को जो राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष की राय में, जैसा मामला हो, ऐसी यात्रा करने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ हो और इसलिए, वायुमार्ग द्वारा या रेल यात्रा नहीं कर सकता हो, को सड़क मार्ग द्वारा की गई पूरी यात्रा के लिए सड़क मील भत्ता दिया जाएगा।]

स्पष्टीकरण I - धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) उपधारा (2) के उपबंध यावतशक्य, इस धारा के अधीन संदेय यात्रा भत्तों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन संदेय यात्रा भत्ते के लिए लागू होते है।

स्पष्टीकरण II - इस धारा के प्रयोजनों के लिए "वर्ष" से अभिप्रेत है,-

(i) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ होने पर सदस्य है, ऐसे प्रारंभ से शुरू होने वाला वर्ष और प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष -

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात् सदस्य बनता है, ऐसी तारीख से जिसकी ऐसे सदस्य की हैसियत में उसकी पदावधि प्रारंभ होती है, शुरू होने वाला वर्ष और प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष।]

[11च] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा प्रतिस्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

[11छ] 19के अधिनियम 28 द्वारा प्रतिस्थापित -20-08-1998 से प्रभावी।

[11ज] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा प्रतिस्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

[11झ] 2004 के अधिनियम 9 द्वारा अन्त:स्थापित -09-01-2004 से प्रभावी।

[11ञ] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा प्रतिस्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

[11ट] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा अन्त:स्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

[11ठ] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा अन्त:स्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

[11ड]**[स्पष्टीकरण III -** उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ [11ढ]{पति या पत्नी, साथी या नातेदारों द्वारा की गई कोई यात्रा उस धारा के परन्तुक में विनिर्दिष्ट [11ण][चौंतीस] यात्राओं की सीमा की संगणना करने में जोड़ी जाएगी}]

[11त]**[5क. मार्गस्थ-वास सुविधा** - जहां धारा 4 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति दिल्ली आता है, वहां वह ऐसी मार्गस्थ वास-सुविधा का ऐसी अवधि के लिए, जो संयुक्त समिति द्वारा धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (गगग) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, हकदार होगा।]

6. रेल द्वारा मुफ्त यात्रा - [12][(1) प्रत्येक सदस्य को [12क](किसी रेलगाड़ी के वातानूकूलित प्रथम दर्जे या अभिजात्य दर्जे) का एक मुफ्त अहस्तांतरणीय पास दिया जाएगा जिससे वह भारत में किसी रेल से किसी भी समय यात्रा करने का हकदार होगा।]

स्पष्टीकरण - [13][इस उपधारा तथा धारा 6क और 6ख के प्रयोजनों के लिए], सदस्य के अंतर्गत मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 में यथापरिभाषित मंत्री [13क][संसद के विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में यथापरिभाषित विपक्षी नेता] तथा संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में यथापरिभाषित राज्य सभा के सभापति से भिन्न संसद के अधिकारी होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को जारी किया गया मुफ्त रेल पास उसकी पदावधि-पर्यन्त विधिमान्य होगा और ऐसी अवधि की समाप्ति पर, वह पास, यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा के महासचिव को वापस कर दिया जाएगा:

परन्तु जहां कोई ऐसा पास किसी नए सदस्य को उसके संसद के किसी सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व जारी किया गया है, वहां वह उस सदन के सत्र में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए उपस्थित होने के लिए उस पास का उपयोग करने का हकदार होगा।

(3) जब तक उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को मुफ्त रेल पास न दिया जाए तब तक वह धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की अपने द्वारा की गई किसी रेल यात्रा के लिए [13ख][किसी रेलगाड़ी के वालानुकूलित प्रथम दर्जे या अभिजात्य दर्जे] के लिए टिकट के किराए के बराबर रकम का हकदार होगा और यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार सदैव हकदार था।

[11ड] 1999 के अधिनियम 3 द्वारा अन्तःस्थापित -05-01-1999 से प्रभावी।

[11ढ] 1999 के अधिनियम 16 द्वारा प्रतिस्थापित -22-03-1999 से प्रभावी।

[11ण] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा प्रतिस्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

[11त] 2004 के अधिनियम 9 द्वारा अन्तःस्थापित -09-01-2004 से प्रभावी।

[12] 1958 के अधिनियम 55 द्वारा प्रतिस्थापित -30-12-1958 से प्रभावी।

[12क] 1999 के अधिनियम 16 द्वारा प्रतिस्थापित -22-03-1999 से प्रभावी।

[13] 1972 के अधिनियम 29 द्वारा अन्तःस्थापित -09-06-1972 से प्रभावी।

[13क] 1977 के अधिनियम 33 द्वारा अन्तःस्थापित -18-08-1977 से प्रभावी।

[13ख] 1999 के अधिनियम 16 द्वारा प्रतिस्थापित -22-03-1999 से प्रभावी।

(4) कोई ऐसा सदस्य जो सदस्य न रहे जाने पर अपना पास वापस कर देता है यदि वह धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई वापसी यात्रा रेल द्वारा करता है तो उस यात्रा के बाबत [13ग][किसी रेलगाड़ी के वातानुकूलित प्रथम दर्जे या अभिजात्य दर्जे] के लिए टिकट के किराए के बराबर रकम का हकदार होगा और यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार सदैव हकदार था।

(5) इस धारा की किसी भी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी सदस्य को किन्हीं ऐसी यात्रा का हकदार नहीं बनाती है जिनका वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा हकदार है।

[14][6क. स्टीमर द्वारा मुफ्त यात्रा - [14क]{(1) धारा 6 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह है कि अंडमान और निकोबर द्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संध राज्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक सदस्य को-

(क) एक मुफ्त अहस्तांतरणीय पास दिया जाएगा, जिससे वह अपने निर्वाचन-क्षेत्र से किसी एक भाग तथा उसके दूसरे भाग के बीच और अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग तथा भारत की मुख्य भूमि के निकटतम पत्तन के बीच स्टीमर द्वारा उच्चतम दर्जे में किसी भी समय यात्रा करने का हकदार होगा; और

(ख) वह अपने प्रायिक निवास स्थान से भारत की मुख्य भूमि के निकटतम विमानपत्तन तक, [14ख]{और वापसी के लिए} वायुयान के टिकट के किराए के बराबर रकम का हकदार होगा:

परंतु इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि ऐसी यात्रा के दौरान सदस्य द्वारा संदेय भोजन प्रभारों के संदाय से उसे छूट है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को जारी किया गया मुफ्त स्टीमर पास उसकी पदावधि-पर्यन्त विधिमान्य होगा और उसकी अवधि की समाप्ति पर वह पास लोक सभा के महासचिव को वापस कर दिया जाएगा:

परन्तु जहां कोई ऐसा पास किसी नए सदस्य को उसके लोक सभा में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व जारी किया गया है वहां वह उस सदन के सत्र में अपना हकदार स्थान ग्रहण करने के लिए उपस्थित होने के लिए उस पास का उपभोग करने का हकदार होगा।

(3) जब तक उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को मुफ्त स्टीमर पास न दिया जाए, तब तक वह धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की अपने द्वारा की गई किसी स्टीमर यात्रा के लिए उच्चतम दर्जे के एक टिकट के किराए (भोजनरहित) के बराबर रकम का हकदार होगा।

(4) कोई ऐसा सदस्य, जो सदस्य न रह जाने पर उपधारा (1) के अधीन अपने को जारी किया गया स्टीमर पास वापस कर देता है, यदि वह धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई वापसी यात्रा स्टीमर द्वारा करता

[13ग] 1999 के अधिनियम 16 द्वारा प्रतिस्थापित -22-03-1999 से प्रभावी।

[14] 1972 के अधिनियम 29 द्वारा प्रतिस्थापित -09-06-1972 से प्रभावी।

[14क] 1988 के अधिनियम 60 द्वारा प्रतिस्थापित -01-04-1988 से प्रभावी।

[14ख] 1989 के अधिनियम 30 द्वारा प्रतिस्थापित -28-08-1989 से प्रभावी।

है तो उस यात्रा की बाबत ऐसी रकम का हकदार होगा जो उच्चतम दर्जे के टिकट के किराए (भोजनरहित) के बराबर होगी।

(5) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी सदस्य को किन्हीं ऐसे यात्रा भत्तों का हकदार नहीं बनाती है जिनका वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा हकदार है।

(6)उपधारा (1) के अधीन [15][किसी सदस्य को दी गयी सुविधाओं] के अतिरिक्त वह -

(i) सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक भाग तथा उसके दूसरे भाग के बीच या उसके निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग और भारत की मुख्य भूमि के निकटतम पत्तन के बीच स्टीमर द्वारा [15क][उच्चतम दर्जे में] यात्रा करने के लिए सदस्य के साथ आने वाले एक व्यक्ति के लिए मुफ्त पास; [15ख][या]

(ii) सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में उसके अपने प्रायिक निवास स्थान से और भारत की मुख्य भूमि के निकटतम पत्तन तक स्टीमर से उच्चतम दर्जे में जाने के लिए सदस्य की पत्नी या पति के लिए यदि कोई है, [15ग]{द्वीप और भारत की मुख्य भूमि के बीच किसी भी समय एक मुफ्त अहंस्तातरणीय पास का; और}

[15घ][(iii) द्वीप में प्रायिक निवास स्थान से भारत की मुख्य भूमि के निकटतम विमानपत्तन तक [15घघ](और वापसी के लिए) सदस्य की पत्नी या पति, यदि कोई है, के लिए या सदस्य के साथ जाने वाले एक व्यक्ति के लिए वायुयान के टिकट के किराए के बराबर रकम का हकदार होगा:

परंतु इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह सदस्य के साथ जाने वाले व्यक्ति या सदस्य के पति या पत्नी को ऐसे व्यक्ति द्वारा या पति या पत्नी द्वारा ऐसी यात्रा के दौरान संदेय किन्हीं भोजन प्रभारों के संदाय से छूट देती है।]

[15ङ]**[6कक.लद्दाख के सदस्यों को विशेष सुविधा.** - (1) धारा 6 के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा प्रत्येक सदस्य, जिसका जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में सामान्य निवास स्थान है, लद्दाख के किसी विमानपत्तन से दिल्ली विमानपत्तन तक आने और जाने के लिए उसके द्वारा किसी भी समय की गई प्रत्येक एकल विमान यात्रा के लिए वायुयान के टिकट के किराए के बराबर रकम का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य के लिए उपबंधित वायुयान यात्रा के अतिरिक्त वह लद्दाख क्षेत्र के किसी विमानपत्तन से दिल्ली विमानपत्तन तक आने और जाने के लिए उस सदस्य की पत्नी या पति, यदि कोई है, या ऐसे सदस्य के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा किसी भी समय की गई प्रत्येक एकल विमान यात्रा के लिए वायुयान के टिकट के किराए के बराबर रकम का भी हकदार होगा]

---

[15] 1988 के अधिनियम 60 द्वारा प्रतिस्थापित -01-04-1988से प्रभावी।

[15क] 1988 के अधिनियम 60 द्वारा प्रतिस्थापित -01-04-1988 से प्रभावी।

[15ख] 1988 के अधिनियम 60 द्वारा प्रतिस्थापित -01-04-1988 से प्रभावी।

[15ग] 1988 के अधिनियम 60 द्वारा प्रतिस्थापित -01-04-1988 से प्रभावी।

[15घ] 1988 के अधिनियम 60 द्वारा प्रतिस्थापित -01-04-1988 से प्रभावी।

[15घघ] 1988 के अधिनियम 60 द्वारा प्रतिस्थापित -01-04-1988 से प्रभावी।

[15ङ] 1988 के अधिनियम 60 द्वारा प्रतिस्थापित -01-04-1988 से प्रभावी।

[15च]**[6ख. सदस्यों को यात्रा -सुविधायें** - [15छ]{(1)} इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित का हकदार होगा -

(i) जब सदस्य रेलगाड़ी से यात्रा करता हैं, तब उसके साथ आने-जाने वाले एक व्यक्ति के लिए वातानुकूलित दो-टीयर दर्जे के एक मुफ्त रेल पास का; और

ii) भारत में किसी स्थान से भारत में किसी अन्य स्थान तक आने-जाने के लिए सदस्य, पत्नी या पति के साथ, यदि कोई हो, भारत में किसी रेलगाड़ी से वातानुकूलित प्रथम दर्जे या अभिजात्य दर्जे में मुफ्त रेलयात्रा का, और यदि ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से दिल्ली तक आने और जाने के लिए वायु मार्ग से की जाती है तो ऐसी यात्रा या उसके भाग के लिए वायुयान के किराए के बराबर रकम का, या सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली तक वायुमार्ग से की गई यात्रा के किराए की रकम के बराबर का, जो भी कम हो।]

[15ज][परंतु जहां किसी सदस्य की पति या पत्नी नहीं है, वहां उस सदस्य के साथ कोई व्यक्ति पति या पत्नी के स्थान पर साथ जा सकेगा, और खंड (i) में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार साथ जाने वाला व्यक्ति, पति या पत्नी को उपलब्ध प्रत्येक सुविधा का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (ii) में किसी बात के होते हुए भी, सदस्य की पत्नी या पति अपने प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली तक आने और वापस जाने के लिए संसद के प्रत्येक सत्र के दौरान एक बार और बजट सत्र में दो बार किसी रेलगाड़ी से वातानुकूलित प्रथम दर्जे या अभिजात्य दर्जे में अथवा वायुमार्ग से या भागतः रेल से और भागतः वायुमार्ग से इस शर्त के अधीन रहते हुए यात्रा करने का हकदार होगा कि या तो प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली के लिए या दिल्ली से प्रायिक निवास स्थान को वापस जाने के लिए प्रत्येक ऐसी यात्रा की, कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होगी:

परंतु जहां कोई ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से दिल्ली तक आने और वापस जाने के लिए वायुमार्ग से की जाती है तो ऐसी पत्नी या पति, यथास्थिति, ऐसी यात्रा या उसके भाग के लिए वायुयान के किराए के बराबर रकम का या सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली तक आने और वापस जाने के लिए वायुमार्ग से की गई यात्रा के किराए की रकम के बराबर का, जो भी कम हो, हकदार होगा।]

[16][6ग. विशेष परिस्थितियों में वायुयान द्वारा यात्रा-सुविधाए -इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी वर्ष के किसी भाग के दौरान किसी सदस्य का उसके निर्वाचन-क्षेत्र में प्रायिक निवास-स्थान, उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से सड़क, रेल या स्टीमर से मौसम की परिस्थितियों के कारण

[15च] 1999 के अधिनियम 16 द्वारा प्रतिस्थापित -22-03-1999 से प्रभावी।

[15छ] 2000 के अधिनियम 17 द्वारा पुनसंख्याकित -07-06-2000 से प्रभावी।

[15ज] 2000 के अधिनियम 17 द्वारा अन्त:स्थापित -07-06-2000 से प्रभावी।

[16] 1976 के अधिनियम 105 द्वारा अन्त:स्थापित -09-07-1976 से प्रभावी।

पहुंच से बाहर है, किन्तु उसके निर्वाचन-क्षेत्र में किसी स्थान पर और उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर रेल सेवा वाले निकटतम स्थान के बीच वायु सेवा है वहां ऐसा सदस्य अपने निर्वाचन-क्षेत्र के उस निकटतम स्थान से जहां वायु सेवा है उस स्थान को जहां रेल सेवा है, वायु मार्ग से दोनों ओर की यात्रा का हकदार होगा:

परंतु जहां वायु सेवा निकटतम स्थान उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर है वहां ऐसा सदस्य केवल उसी स्थान से उस निकटतम स्थान को, जहां रेल सेवा, वायु मार्ग द्वारा दोनों ओर की यात्रा करने का हकदार होगा।]

[16क][6ध. नेत्रहीन और शारीरिक रूप से असमर्थ सदस्यों को विशेष सुविधा - ऐसा कोई सदस्य जो दृष्टिहीन है या जो, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष की राय में शारीरिक रूप से इतना असमर्थ है कि उसके लिए परिचारक सुविधा आवश्यक है,-

(i) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में या धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख) या उपधारा (2) में या धारा 6ग में निर्दिष्ट वायुमार्ग द्वारा ऐसी प्रत्येक यात्रा की बाबत जो उसने परिचारक के साथ की है, (उन भत्तों के अतिरिक्त जिनका, वह यथास्थिति, धारा 4 या धारा 5 या धारा 6ग के अधीन हकदार है) ऐसी यात्रा के लिए एक यात्री के वायु मार्ग के किराए के बराबर रकम का हकदार होगा;

(ii) धारा 4, धारा 5, धारा 6 या धारा 6ख में निर्दिष्ट रेल द्वारा ऐसी प्रत्येक यात्रा की बाबत ऐसे सदस्य की परिचर्या के लिए परिचारक के लिए धारा 6ख की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन मुफ्त वातानुकूलित टू-टियर दर्जे के रेल के पास के स्थान पर उसी दर्जे में जिसमें ऐसा सदस्य यात्रा करता है, एक यात्री की मुफ्त रेल पास की सुविधा अनुज्ञात की जाएगी।

[16ख][(iii) सड़क मार्ग द्वारा जैसा कि धारा 2 या धारा 5 में दिया गया है, वह एक सड़क मील भत्ते की राशि के बराबर का हकदार होगा।]

7. एक सत्र समाप्ति तथा दूसरे सत्र आदि के प्रारंभ के बीच लधु अन्तरालों के दौरान भत्ते-

[16ग][जहां संसद के किसी सदन के स्थगन या, यथास्थिति किसी समिति की एक बैठक तथा उसी स्थान पर उस सदन के पुन: समवेत होने या समिति की अगली बैठक के बीच अन्तराल [16घ][पांच दिन] से अधिक न हो, और संबद्ध सदस्य अंतराल के दौरान ऐसे स्थान पर रहता है, वह वहां ऐसे स्थान पर निवास के प्रत्येक दिन के लिए धारा 3 में विनिर्दिष्ट दर पर दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा:

परन्तु यदि सदस्य अन्तराल के दौरान ऐसे स्थान से चला जाता है, तो उस स्थान से उसकी अनुपस्थिति, यथास्थिति, संसद के किसी सदन के सत्र या समिति की बैठक के दौरान अनुपस्थिति के रूप में समझी जाएगी और धारा 5 के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

[16क] 2000 के अधिनियम 17 द्वारा प्रतिस्थापित -07-06-2000 से प्रभावी।

[16ख] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा अन्त:स्थापित -17-05-2004 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी।

[16ग] 1958 के अधिनियम 55 द्वारा अन्त:स्थापित -30-12-1958 से प्रभावी।

[16घ] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा प्रतिस्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

[17]**[8. निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता और सुख सुविधाएं** - कोई सदस्य ऐसे निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता [17क](कार्यालय व्यय भत्ता) और अपने लिए तथा अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाओं और ऐसा आवास, टेलीफोन, जल, बिजली संबंधी सुविधाओं का या इन सभी सुविधाओं या इनमें से किसी सुविधा के बदले में ऐसी नकद रकम का हकदार होगा, जो धारा 9 के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाए।]

[17ख][परन्तु जहां लोक सभा उसके पहले अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष पूरा होने से पहले ही विधटित कर दी जाती है वहां ऐसे सदन के सदस्यों को उस वर्ष के लिए जिसमें ऐसे सदन का विधटन होता है, उसे उपलब्ध मुफ्त टेलीफोन कालों या मुफ्त विद्युत की यूनिटों या मुफ्त जल की किलोलीटरों में यूनिटों के कोटा को, उस सीमा तक, जो ऐसे विघटन की तारीख को उपयोग करने से शेष रह जाती है, विधटन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख से, जिसको, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अधीन पश्चात्वर्ती लोक सभा के गठन की अधिसूचना जारी की जाती है, ठीक पहले की तारीख को सामाप्त होने वाली अवधि के दौरान संदाय के बिना इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जा सकेगा कि ऐसा सदस्य, ऐसे प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा उसे उपलब्ध टेलीफोन की ऐसी अवधि के दौरान की जाने वाली इस प्रकार अनुज्ञात कालों और मुफ्त विद्युत या जल की किलोलीटरों में अनुज्ञात यूनिटों से अधिक खपत की गई विद्युत की यूनिटों या जल के किलोलीटरों के यूनिटों के लिए, संदाय करने का दायी होगा:

परन्तु यह कि जहां पहले परन्तुक में निर्दिष्ट सदस्य उस परन्तुक में गठित किए जाने के लिए यथा निर्दिष्ट पश्चात्वर्ती लोक सभा का सदस्य हो जाता है वहां वह ऐसी आधिक्य टेलीफोन कालों, विद्युत की यूनिटों और जल के किलोलीटरों के लिए संदाय का दायी होगा जिसके लिए वह पहले परन्तुक के अधीन ऐसी मुफ्त टेलीफोन कालों, विद्युत की यूनिटों और जल के किलोलीटरों के कोटा के लिए दायी है, जिनके लिए वह ऐसी पश्चात्वर्ती लोक सभा की अवधि के पहले वर्ष के लिए हकदार है।]

[18][**8क. पेंशन** -[18कक]**(1)** संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को आठ हजार रुपए प्रतिमास पेंशन दी जाएगी जिसने किसी भी अवधि तक अंत:कालीन संसद या संसद के किसी सदन के सदस्य के रूप में सेवा की है:

परंतु जहां किसी व्यक्ति ने अंत:कालीन संसद और संसद के किसी सदन के सदस्य के रूप में पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए सेवा की है, वहां उसे पांच वर्ष से अधिक सेवा किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए आठ सौ रुपए प्रति मास की अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी;"

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "अंत:कालीन संसद" के अतंर्गत वह निकाय भी है जिसने इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के रूप में काम किया था।

[18ख][*   *   *]

---

[17] 1985 के अधिनियम 74 द्वारा प्रतिस्थापित -26-12-1985 से प्रभावी।

[17क] 1988 के अधिनियम 60 द्वारा अन्त:स्थापित -01-04-1988 से प्रभावी।

[17ख] 2000 के अधिनियम 17 द्वारा अन्त:स्थापित -26-04-1999 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी।

[18] 2004 के अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्थापित -09-01-2004 से प्रभावी।

[18कक] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा प्रतिस्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

[18ख] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा लोप किया गया-15-09-2006 से प्रभावी।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिए हकदार कोई व्यक्ति -

(i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो जाता है या किसी राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाता है; या

(ii) राज्य सभा या लोक सभा अथवा किसी राज्य या संध राज्यक्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् का या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य बन जाता है; या

(iii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियुक्त किया जाता है या ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकारी से किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हो जाता है;

वहां ऐसा व्यक्ति उस अवधि के लिए, जिसके दौरान वह ऐसा पद धारण करता है या ऐसे सदस्य के रूप में बना रहता है या इस प्रकार नियोजित रहता है या ऐसे पारिश्रमिक के लिए हकदार रहता है, उपधारा (1) के अधीन किसी पेंशन के लिए हकदार नहीं होगा:

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति को ऐसा पद धारण करने के लिए या ऐसा सदस्य होने के लिए या इस प्रकार नियोजित होने के लिए संदेय वेतन या जहां ऐसे व्यक्ति को खंड (iii) में निर्दिष्ट संदेय पारिश्रमिक, इन दोनों में से कोई उपधारा (1) के अधीन संदेय पेंशन से कम है वहां ऐसा व्यक्ति केवल अतिशेष को पेंशन के रूप में उस उपधारा के अधीन पाने का हकदार होगा।

[18खख][(3) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति, किसी अन्य पेंशन का भी हकदार है वहां ऐसा व्यक्ति किसी अन्य पेंशन के अतिरिक्त उपधारा (1) के अधीन ऐसी अन्य पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।]

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए वर्ष की संगणना करने में वह कालावधि हिसाब में ली जाएगी, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 में यथापरिभाषित मंत्री के रूप में या संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 में यथा परिभाषित संसद अधिकारी के रूप में (राज्य सभा के सभापति से भिन्न)

या [18खखख][संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 में यथापरिभाषित विपक्षी नेता के रूप में,] सेवा की है या लोक सभा या राज्य सभा के सदस्य के आधार पर सभी या किन्हीं ऐसी दो हैसियतों के रूप में सेवा की है।

[19]**[8कक. [19क][(1)]भूतपूर्व सदस्यों को यात्रा सुविधाएं** - ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो आसीन सदस्य नहीं है, किंतु संसद के किसी सदन के सदस्य के रूप में किसी अवधि के लिए सेवा कर चुका है, किन्हीं प्रभारों को संदाय किए

[18खख] 1993 के अधिनियम 48 द्वारा प्रतिस्थापित -09-06-1993 से प्रभावी।

[18खखख] 1977 के अधिनियम 33 द्वारा अन्त:स्थापित -18-08-1977 से प्रभावी।

बिना, यथास्थिति, संसद के किसी भी सदन के सचिवालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए प्राधिकार के आधार पर,--

(क) 18 जनवरी, 1999 से किसी साथी के साथ भारत में किसी रेलवे की किसी रेलगाड़ी द्वारा वातानुकूलित टू-टियर दर्जा में यात्रा करने का हकदार होगा; या

(ख) भारत में किसी रेलवे की किसी रेलगाड़ी द्वारा वातानुकूलित प्रथम दर्जा में अकेला यात्रा करने का हकदार होगा।]

[19कक][(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो आसीन सदस्य नहीं है किंतु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप से किसी अवधि के लिए सदस्य के रूप में सेवा कर चुका हो, वह संसद के किसी भी सदन के सचिवालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए प्राधिकार के आधार पर, किन्ही प्रभारों को संदाय किए बिना उपधारा (1) के अधीन ऐसे सदस्य को उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप और भारत के मुख्य भूभाग जैसा मामला हो, के बीच चलने वाले किसी स्टीमर में उच्चतम दर्जे में यात्रा करने का हकदार होगा।]

[19ककक]**[8कख. पेंशन की अवधि का पूर्णांकन -** जहां ऐसी अवधि में, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन पेंशन संदेय है, किसी वर्ष का कोई भाग अंतर्विष्ट है तब, यदि ऐसा भाग नौ मास का या उससे अधिक का है तो उसे धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त पेंशन के संदाय के प्रयोजन के लिए पूरे एक वर्ष के बराबर किया जाएगा और यदि ऐसा भाग नौ मास से कम है तो उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।]

[19ख]**[8कग. (1)** संसद के किसी भी सदन के किसी सदस्य की उसकी पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर, उसकी पत्नी या पति, यदि कोई हो, या ऐसे सदस्य पर आश्रित व्यक्ति को ऐसी पत्नी या पति के जीवन की शेष अवधि के दौरान या, इस प्रकार आश्रित व्यक्ति को, जैसा मामला हो, जब तक कि ऐसा आश्रित व्यक्ति धारा 2 के खंड (कक) के अर्थ के अंतर्गत आश्रित बना रहता है, उस पेंशन की आधी राशि के बराबर परिवार पेंशन का भुगतान किया जाएगा जो ऐसे संसद सदस्य को सेवानिवृत होने पर प्राप्त होती:

परन्तु यह कि किसी आश्रित व्यक्ति को ऐसी किसी पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा यदि वह आश्रित व्यक्ति संसद का आसीन सदस्य है या वह धारा 8क के अधीन पेंशन का आहरण कर रहा हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय परिवार पेंशन किसी व्यक्ति की पत्नी या पति या आश्रित व्यक्ति को भी देय होगी जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रवृत होने से पहले किसी समय संसद के किसी सदन, या अंत:कालीन संसद का सदस्य रहा हो और जिसकी ऐसे सदस्य के रूप में सेवा करने के बाद मृत्यु हुई हो:

---

[19] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा अन्त:स्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

[19क] 2004 के अधिनियम 9 द्वारा अन्त:स्थापित -09-01-2004 से प्रभावी।

[19कक] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा अन्त:स्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

[19ककक] 2004 के अधिनियम 9 द्वारा अन्त:स्थापित -09-01-2004 से प्रभावी।

[19ख] 2006 के अधिनियम 40 द्वारा अन्त:स्थापित -15-09-2006 से प्रभावी।

परंतु यह कि ऐसी पत्नी या पति या आश्रित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई पेंशन आहरित नहीं कर रहा हो या वह उपधारा (1) के परंतुक के अधीन परिवार पेंशन आहरित करने का हकदार नहीं है:

परंतु यह भी कि कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रवृत्त होने से पहले किसी अवधि के संबंध में इस उप-धारा के अधीन किसी प्रकार की परिवार पेंशन के बकाये का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अंत:कालीन संसद" के अंतर्गत वह निकाय भी है जिसने इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के रूप में काम किया था।]

[19खख]**[8ख. वाहन क्रय करने के लिए अग्रिम -** वाहन क्रय करने के लिए, किसी सदस्य को प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में [19ग][एक लाख रूपये] से अनधिक ऐसी धनराशि का संदाय किया जा सकेगा जो धारा 9 के अधीन, इस निमित बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए।]

9. नियम बनाने की शक्ति:- (1) इस धारा के अधीन नियम बनाने के प्रयोजन के लिए सभापति द्वारा नाम-निर्देशित राज्य सभा से पांच सदस्यों और अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित लोक सभा से दस सदस्यों को मिलाकर संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति अपना अध्यक्ष चुनेगी और उसे अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति होगी।

[19घ][(2क)] संयुक्त समिति का सदस्य, ऐसे सदस्य की हैसियत में अपने नाम-निर्देशन की तारीख से एक वर्ष के लिए पद धारण करेगा और संयुक्त समिति की कोई आकस्मिक रिक्ति यथास्थिति राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशन से भरी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण- संसद सदस्य वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 1958 के प्रारंभ से ठीक पूर्व संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में पद धारण करने वाले सदस्य की दशा में, एक वर्ष की अवधि ऐसे प्रारंभ की तारीख से संगणित की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति [20][केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात्] निम्नलिखित सभी मामलों या उनमें से किसी के लिए उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:-

[20क](क) किसी यात्रा के लिए मार्ग;

[19खख] 1985 के अधिनियम 74 द्वारा अन्त:स्थापित -26-12-1985 से प्रभावी।

[19ग] 1998 के अधिनियम 28 द्वारा प्रतिस्थापित -20-08-1998 से प्रभावी।

[19घ] 1958 के अधिनियम 55 द्वारा अन्त:स्थापित -30-12-1958 से प्रभावी।

[20] 1958 के अधिनियम 55 द्वारा अन्त:स्थापित -30-12-1958 से प्रभावी।

[20क] 2004 के अधिनियम 9 द्वारा अन्त:स्थापित -09-01-2004 से प्रभावी।

[21][(कक)] वे व्यक्ति जो धारा 2 के खंड (कक) के उपखंड (छ) के अधीन आश्रित के रूप में विनिर्दिष्ट किए जाएं];

(ख) दिन के भाग की, उस दिन के लिए अनुज्ञेय दैनिक भत्ता अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, गणना करने की रीति;

(ग) जहां सदस्य के लिए संपूर्ण यात्रा या उसके किसी भाग के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की गई है वहां अनुज्ञेय यात्रा भत्ता [21][तथा जहां सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के खर्च पर सदस्य के मुफ्त निवास तथा भोजन की व्यवस्था की गई है वहां दैनिक भत्ते में से कटौती];

[21क](गग) वह दर, जिस पर धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अधीन सड़क मील भत्ता दिया जाएगा];

[21ख][(गगग)] वह मार्गस्थ वास-सुविधा और अवधि, जिसके लिए धारा 5क के अधीन ऐसी वास- सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी];

(घ) जहां वह स्थान जिससे सदस्य अपनी यात्रा का प्रारंभ करता है या जहां वह वापस जाता है, उसका प्रायिक निवास स्थान नहीं है, वहां अनुज्ञेय यात्रा भत्ता;

[22](घघ)] जहां नियमित स्टीमर सेवा नहीं है वहां किसी जलयान से की गई यात्रा की बाबत अनुज्ञेय यात्रा भत्ता];

(घघघ) सदस्य द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी दौरे के अनुक्रम में, ऐसे सदस्य की हैसियत में, अपने कर्त्तव्यों के संबंध में की गई यात्रा के लिए अनुज्ञेय यात्रा तथा दैनिक भत्ते;

(ड़) यह प्ररूप, जिसमें किसी सदस्य द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी भत्ते के दावे के प्रयोजन के लिए प्रमाणपत्र, यदि कोई हों, दिए जांएगे;

[22क][(ड़ड़)] इस अधिनियम के अधीन पेंशन का दावा करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्रों का, यदि कोई हों, प्ररूप];

[23][(च) धारा 8 के उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता तथा चिकित्सीय और अन्य सुविधाएं तथा ऐसे भत्तों और सुविधाओं के बदले में नकद संदत्त की जाने वाली रकम;

---

[21] 1958 के अधिनियम 55 द्वारा अन्त:स्थापित -30-12-1958 से प्रभावी।

[21क] 1982 के अधिनियम 61 द्वारा अन्त:स्थापित -06-11-1982 से प्रभावी।

[21ख] 2004 के अधिनियम 9 द्वारा अन्त:स्थापित -09-01-2004 से प्रभावी।

[22] 1958 के अधिनियम 55 द्वारा अन्त:स्थापित -30-12-1958 से प्रभावी।

[22क] 1976 के अधिनियम 105 द्वारा अन्त:स्थापित -09-09-1976 से प्रभावी।

[23] 1975 के अधिनियम 48 द्वारा प्रतिस्थापित -16-08-1975 से प्रभावी।

(चच) वह रकम जिसका वाहन क्रय करने के लिए, प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में संदाय किया जा सकेगा, उस पर ब्याज की दर तथा ऐसी रकम और उस पर ब्याज की वसूली का ढंग; और]

[23क][(चचच)] 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी वर्ष से संबंधित अनुपयोजित नि:शुल्क टेलीफोन काल किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत होने के संबंध में उपबंध करना];

(छ) साधारणतया इस अधिनियम के अधीन [23ख][दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता और पेंशन] के संदाय के विनियमन के लिए।

(4) उपधारा (3) के अधीन बनाए गए नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे, जब तक वे राज्य सभा के सभापति द्वारा तथा लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित तथा पुष्ट न किए जाएं तथा राजपत्र में प्रकाशित न कर दिए जाएं और नियमों का ऐसा प्रकाशन इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वे सम्यक् रूप से बनाए गए है।

[*]10. कतिपय यात्रा भत्तों के संदाय का विधिमान्यकरण।

[23क] 2004 के अधिनियम 9 द्वारा अन्त:स्थापित -09-01-2004 से प्रभावी।

[23ख] 1976 के अधिनियम 105 द्वारा प्रतिस्थापित -09-09-1976 से प्रभावी।

[*] निरसन और संशोधन अधिनियम, 1960 (1960 का 58) धारा 2 और अनुसूची एक द्वारा नरिसति।

संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1957

का0नि0आ0 1148- संसद् सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए निम्नलिखित नियम, जो राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा अपेक्षित रूप से अनुमोदित और पुष्ट कर दिए गए हैं, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते है:-

संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957*
(12 दिसम्बर, 2006 तक यथा संशोधित)

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम - (1) ये नियम संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 कहलायेंगे।

(2) ये जून, 1954 के प्रथम दिन को प्रवृत्त समझे जायेंगे, परन्तु इन नियमों के राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने से पहले तय किया गया कोई दावा इन नियमों में निहित किसी उपबंध के आधार पर पुनः उठाया नहीं जाएगा:

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक प्रकरण से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से संसद सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 (1954 का 30) संशोधित रूप में (1955 का 9) अभिप्रेत है;

(ख) "नियंत्रक पदाधिकारी" से लोक सभा के सचिव द्वारा अधिकृत लोक सभा सचिवालय का कोई पदाधिकारी या राज्य सभा के सचिव द्वारा अधिकृत राज्य सभा सचिवालय का कोई पदाधिकारी अभिप्रेत है जिसे, यथास्थित लोक सभा या राज्य सभा के सदस्यों के यात्रा और दैनिक भत्ते संबंधी बिलों (बीजकों) पर प्रतिहस्ताक्षर करने की शक्ति हो;

(ग) "दिन" से अर्धरात्रि से आरंभ होकर चौबीस धंटे की अवधि अभिप्रेत है;

(ध) "प्रपत्र" से इन नियमों से संलग्न कोई प्रपत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "संयुक्त समिति" से धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति अभिप्रेत है;

---

* दिनांक 6 अप्रैल, 1957 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-एक, खण्ड 3 में प्रकाशित।

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

यात्रा करने के मार्ग

3. (एक) इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित रेल भाड़ा निकटतम मार्ग से, अर्थात् वह मार्ग जिससे सदस्य अपने गन्तव्य स्थान पर सबसे जल्दी पहुंच सके, गिना जाएगा।

जब एक से अधिक मार्ग समान रूप से छोटे हों, तो भाड़े का हिसाब सब से सस्ते मार्ग से लगाया जाएगा।

(दो) जहां निकटतम मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो, वहां उससे अगले सबसे जल्दी पहुंचने के मार्ग से अतिरिक्त भाड़ा दिया जा सकता है।

[1] [(तीन) जहां सदस्य के लिए निकटतम मार्ग से यात्रा करना सुविधाजनक न हो, वहां वह किसी अन्य अधिक सुविधाजनक मार्ग से यात्रा कर सकता है और ऐसे मामले में रेल भाड़े का हिसाब उसी मार्ग से लगाया जाएगा जिससे उसने वस्तुतः यात्रा की हो:

परन्तु जहां निकटतम मार्ग के भाड़े और सदस्य ने जिस मार्ग से वस्तुतः यात्रा की हो, उसके भाड़े में साठ रूपए से अधिक अन्तर हो, वहां सदस्य को देय भाड़े का अन्तर साठ रुपए तक सीमित होगा।]

[2][(चार) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित 'द्वितीय दर्जे का भाड़ा' उस गाड़ी का विचार किए बिना जिसमें सदस्य वस्तुतः यात्रा करता है 'मेल ट्रेन' से यात्रा के लिए निर्धारित दरों के हिसाब से लगाया जाएगा।

[3][3क. [3क](1) सदस्य किसी एयरलाइन्स में वायुयान द्वारा की गई यात्रा की बाबत यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार है।

(1क) धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में या धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख), और उप-धारा (2) में निर्दिष्ट वायुयान के किराए की गणना सीधे मार्ग से की जाएगी:

परन्तु जहां एक से अधिक मार्ग हैं वहां वायुयान के किराए की गणना उस मार्ग से की जाएगी जिससे सदस्य अपने गंतव्य स्थान पर अधिक शीध्रता से पहुंच सकता है।]

---

[1] दिनांक 25 जनवरी, 1958 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, में प्रकाशित का0 नि0 आ0 342 द्वारा अन्तःस्थापित।

[2] दिनांक 24 नवम्बर, 1959 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 1285 द्वारा अन्तःस्थापित।

[3] दिनांक 2 जुलाई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 338 (अ) द्वारा अन्तःस्थापित।

[3क] दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 नि0 आ0 702 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जहां सीधा मार्ग अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है या किसी विशिष्ट दिन पर कोई सेवा उपलब्ध नहीं है और सदस्य ने अगले सस्ते से सस्ते मार्ग द्वारा यात्रा की है, वहां उस मार्ग से विमान किराया अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) जहां किसी सदस्य के लिए सीधे मार्ग से यात्रा करना सुविधापूर्ण नहीं है, वह अधिक सुविधापूर्ण किसी मार्ग द्वारा यात्रा कर सकता है और ऐसी दशा में उसे निम्नलिखित के बराबर रकम अनुज्ञात की जाएगी -

(एक) उस मार्ग से विमान किराया जिससे उसने वास्तविक रूप के यात्रा की है; और

(दो) सीधे मार्ग द्वारा विमान किराया राशि और [3ख](दो सौ पचास रुपए); जो भी कम हो;

[3ग][परन्तु कोई संसद सदस्य निकटतम मार्ग से संसक्त उड़ान उपलब्ध न होने पर उसी दिन उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचने में असुविधा से बचने के लिए किसी अन्य मार्ग से यात्रा करने का हकदार होगा, परन्तु यह तब जब, यथास्थिति, लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति ने अनुज्ञात दी हो।]

(4) जहां कोई सदस्य चक्रदार वायु-एवं-रेल मार्ग द्वारा यात्रा करता है वहां उसे वायु-एवं-रेल द्वारा की गई वास्तविक यात्रा के लिए धारा 4 के अधीन यात्रा भत्ता या सीधे मार्ग द्वारा विमान का यात्रा-भत्ता जो भी कम हो, अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु जहां की गई यात्रा का विमान यात्रा भाग सीधे मार्ग द्वारा यात्रा की कुल दूरी के आधे से कम है, वहां विमान द्वारा की गई वास्तविक यात्रा के लिए विमान का यात्रा भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा और बाकी यात्रा के लिए प्रारम्भिक स्थान से गंतव्य स्थान तक सीधे मार्ग द्वारा कुल रेल-मील-भत्ता निकाल कर और उससे 'प्रारम्भिक' स्थान से जहां तक सदस्य ने विमान द्वारा यात्रा की है उस स्थान तक रेल-मील-भत्ते की कटौती करके, रेल द्वारा यात्रा भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा।

[3घ][(5) जहां यात्रा -

(1) किसी संसद सदस्य द्वारा धारा 4, धारा 5 या धारा 6ग के अधीन विमान द्वारा की जाती है,
(2) संसद सदस्य के पति या पत्नी द्वारा [3ङ]{6ख} के अधीन विमान द्वारा की जाती है, या
(3) संसद सदस्य के परिचर द्वारा धारा 6ध के अधीन विमान द्वारा की जाती है, वहां वह संसद सदस्य इस प्रकार की यात्रा के विमान के टिकट का प्रतिपर्ण प्रस्तुत करेगा:

[3ख] दिनांक 25 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा० का० नि० 1091 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3ग] 31 अगस्त 1998 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा० का० नि० 539(अ) द्वारा अन्त:स्थापित।

[3घ] दिनांक 1 अक्टूबर, 1983 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा० का० नि० 769 (ङ) द्वारा अन्त:स्थापित।

[3ङ] 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा० का० नि० 702(अ) द्वारा प्रतिस्थापित –दिनांक 7-6-2000 से प्रभावी ।

परन्तु जहां प्रतिपर्ण नष्ट हो गया है या कहीं खो गया है वहां वह सदस्य [3च]{संबद्ध एयरलाइंस} से विमान यात्रा किए जाने का प्रमाण-पत्र पेश करेगा।

किसी दिन के लिये समनुज्ञेय दैनिक भत्ते का अवधारण करने के प्रयोजन से उसके भागों को गिनने की रीति

4. सदस्य को कर्तव्य के निमित्त निवास के प्रत्येक दिन के लिए आगमन या प्रस्थान के समय पर विचार किये बिना दैनिक भत्ता समनुज्ञेय होगा।

[3छ][4क. प्रत्येक सदस्य इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए सड़क द्वारा की गई यात्रा अथवा उसके किसी भाग के लिए [3ज]{तेरह रुपये}प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ता पाने का हकदार होगा।

लेकिन संसद सदस्य के दिल्ली स्थित समान्य निवास स्थान से दिल्ली विमानपत्तन तक और दिल्ली विमानपत्तन से दिल्ली स्थित अपने सामान्य निवास स्थान की यात्रा के संबंध में न्यूयतम राशि 120रु० होगी।]

जहां सदस्य की पूरी यात्रा या उसके किसी भाग के लिए नि:शुल्क आने-जाने की व्यवस्था की गई हो वहां यात्रा भत्ते की समनुज्ञेयता

5. सदस्य द्वारा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निधि के खर्च पर दी गई सवारी से की गई किसी यात्रा या उसके किसी भाग के संबंध में धारा 4 के अधीन किसी यात्रा भत्ते का दावा नहीं किया जायेगा परन्तु जहां ऐसी यात्रा की अवधि किसी दिन छः घंटे से कम न हो वहां सदस्य केवल 5 रुपये 25 पैसे (पांच रुपये और पच्चीस पैसे) की दर से भत्ता लेने का हकदार होगा:

परन्तुं यह कि इस नियम के उपबंध किसी रेलवे से की गई यात्रा पर लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी-5.25 रुपये की राशि सदस्य को इस प्रकार की यात्रा या उसके भागों में होने वाले आनुषंगिक व्यय को पूरा करने के लिए दी जाती है और जब वह नि:शुल्क दी गई सवारी से यात्रा करता है तो अतिरिक्त विमान या स्टीमर भाड़े या सड़क मील भाड़े के बदले में दी जाती है। यह भत्ता [4]{एक हजार} रुपये प्रतिदिन के दैनिक भत्ते के जो उसे कर्तव्य के निमित्त निवास के प्रतिदिन के लिए दिया जाता है वैकल्पिक रूप में नहीं दिया जाता।

[3च] 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 702(अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3छ] दिनांक 25 अगस्त, 1993 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 752 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[3ज] 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 745(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित –दिनांक 15-09-2006 से प्रभावी।

[4] 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 745(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित - दिनांक 14.09.2006 से प्रभावी।

वह स्थान, जिससे सदस्य अपनी यात्रा आरम्भ करता है या जिस स्थान पर वह लौटता है उसका प्रायिक निवास-स्थान नहीं है वहां यात्रा भत्ते की समनुज्ञेयता

6. जहां संसद सदस्य के किसी सदन के सत्र या समिति की बैठक में उपस्थित होने अथवा सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में सम्मिलित होने के प्रयोजन से अपने सामान्य निवास-स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान में यात्रा करता है या ऐसे स्थान को लौटता है, तो वह की गई वास्तविक यात्रा या अपने सामान्य निवास-स्थान से या वहां तक की यात्रा के लिए, जो भी कम हो, यात्रा भत्ता, ले सकेगा।

[5][6क. जहां सदस्य संसद के किसी सदन के सत्र या समिति की बैठक के दौरान जहां ऐसी सत्र या बैठक हो उस स्थान से सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में सम्मिलित होने के प्रयोजन से किसी अन्य स्थान तक यात्रा करता है, तो वह-

(क) ऐसे अन्य स्थान की ऐसी यात्रा के संबंध में और वापसी यात्रा के लिए धारा 4 में निर्दिष्ट दर से यात्रा भत्ता, और

(ख) अन्य स्थान पर कर्त्तव्य के निमित्त निवास की किसी अवधि में प्रत्येक दिन के लिए धारा 3 में निर्दिष्ट दर से दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा।]

[6][* * * * * *]

अधिनियम के अंतर्गत दैनिक और यात्रा भत्तों के भुगतान का विनियमन करने वाले सामान्य नियम

8. प्रत्येक सदस्य निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट होने के बाद यथाशीध्र नियंत्रक पदाधिकारी को अपना सामान्य निवास-स्थान बतायेगा और इस प्रकार बताये गये सामान्य निवास-स्थान के बाद में किसी परिवर्तन की सूचना नियंत्रक पदाधिकारी को प्रपत्र 'क' में यथाशीध्र दी जायेगी।

9. इस बात की परवाह न करते हुए कि सदस्य ने संसद के सदन में अपने उस स्थान को ग्रहण नहीं किया है जिनके लिए वह निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया है, उसे सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के प्रयोजन से की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता लेने का हक होगा।

10. (1) संसद के सदन के सत्र या समिति की बैठक के दौरान भारत में किसी स्थान पर जाने के लिए 15 दिन या इससे अधिक काल की अनुपस्थिति के लिए कोई यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। सदस्य की अनुपस्थिति की अवधि अर्धरात्रि को आरम्भ और समाप्त होने वाले दिनों के हिसाब से गिनी जायेगी।

---

5 दिनांक 15दिसम्बर, 1961 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1179 द्वारा अन्त:स्थापित।

6 दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा लोप किया गया।

स्पष्टीकरण: यदि सदस्य 15वें दिन चाहे मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात् लौट आये तो उसकी अनुपस्थिति 15 दिन से कम समझी जाएगी।

(2) धारा 5 और इस नियम के उप-नियम (1) में आने वाले 'सत्र के दौरान' या 'समिति की बैठक' शब्दों में सत्र के प्रारम्भ से तुरन्त पहले दिन और सत्र की समाप्ति के तुरन्त बाद के तीन दिन अथवा समिति के कार्य के प्रारम्भ से तुरन्त पहले के दो दिन और कार्य के संपन्न होने के तुरन्त बाद के दो दिन की अवधि सम्मिलित नहीं है।

[7][परन्तु यह कि अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अनुसार भारत के किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान तक किसी भी वर्ष में की गई [7क]{चौंतीस } एकल विमान यात्राओं पर यह नियम लागू नहीं होंगे।]

[7ख][* * * * *]

12. यदि कोई सदस्य उस स्थान से जहां संसद के सदन का सत्र अथवा समिति की बैठक हो रही हो या सत्र या समिति की बैठक के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने और दूसरे सत्र या बैठक के प्रारम्भ होने के बीच के अन्तराल के प्रारम्भ होने से पहले चला जाता है ओर ऐसा अन्तराल सात दिन की अवधि से अधिक न हो तो उस स्थान से उसकी अनुपस्थिति/यथास्थिति, सदन के सत्र अथवा समिति की बैठक के दौरान मध्यवर्ती अनुपस्थिति समझी जाएगी और तदनुसार धारा 5 के उपबन्ध लागू होंगे।

13. किसी ऐसे सदस्य को, जो संसद के सदन के सत्र अथवा समिति की बैठक के स्थान से ऐसे सत्र या बैठक के जारी रहने के दौरान चला जाता है और अपने सामान्य निवास-स्थान को अंतिम रूप से लौटने से पहले 'यथास्थिति' सत्र या बैठक का कार्य समाप्त होने के बाद सत्र या बैठक के स्थान पर लौट आता है, सामान्य निवास-स्थान को वापसी के लिए यात्रा भत्ता मिल सकेगा।

14. किसी ऐसे सदस्य को जो उस स्थान पर जहां संसद के सदन का सत्र अथवा समिति की बैठक होती है, सत्र या बैठक के स्थगित होने के बारे में जाने बिना पहुंच जाता है, यात्रा भत्ता मिल सकने के बारे में सब मामलों का, जिसमें ऐसे सदस्य के मामले भी सम्मिलित हैं जो सत्र या बैठक के अचानक स्थगित हो जाने के बाद पहुंचते हैं, निर्धारण यथास्थिति लोक सभा के अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापति द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

15. जहां किसी सदस्य के लिए भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय निधि के खर्च पर नि:शुल्क भोजन और निवास की व्यवस्था की जाये, तो उसे धारा 3 के अधीन जितना दैनिक भत्ता मिल सकता

---

[7] दिनांक 21 मई, 1987 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 520(ङ) द्वारा अन्त:स्थापित कयिा गया।

[7क] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 745(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित -दिनांक 15.09.2006 से प्रभावी ।

[7ख] नियम 11 का दिनांक 31 अक्टूबर, 1960 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1280 द्वारा लोप किया गया।

है उसका केवल आधा लेने का हक होगा। यदि सदस्य के लिए केवल भोजन या निवास की निःशुल्क व्यवस्था हो, तो उसे इस धारा के अधीन जितना दैनिक भत्ता मिल सकता है, उस की तीन-चौथाई लेने का हक होगा।

16. (1) जब किसी सदस्य का [8][पहचान-पत्र एवं रेल का पास अथवा पति/पत्नी का रेल पास] खो जाये और दूसरे पहचान-पत्र या रेल पास दिये जाने की आवश्यकता हो तो वह उन परिस्थितियों को बताते हुए जिनमें वह खोया हो, यथास्थिति, लोक सभा के अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापति को आवेदन पत्र देगा और यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को समाधान हो जाये, तो सदस्य को दूसरा [9][पहचान-पत्र एवं रेल पास अथवा पति/पत्नी का रेल पास] दे दिया जाएगा।

(2) जब [10][कोई सदस्य/पति या पत्नी अपने पहचान-पत्र एवं रेल पास के बिना रेल द्वारा यात्रा करता है] तो उस पर ऐसी यात्रा के संबंध में साधारण रेलवे नियम लागू होंगे।

[11][16क. (1) जहां कोई सदस्य अपना स्टीमर पास या अपनी पत्नी या अपने पति का स्टीमर पास खो देता है और उसकी दूसरी प्रति उसे जारी करने की आवश्यकता होती है वहां वह यथास्थिति, लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति, को जिन पतिस्थितियों में पास खो गया था उन्हें स्पष्ट करते हुए आवेदन करेगा और यदि, यथास्थिति/अध्यक्ष या सभापति को समाधान हो जाए, तो सदस्य को दूसरा स्टीमर पास या उसकी पत्नी या उसके पति का स्टीमर पास जारी किया जाएगा।

(2) जहां कोई सदस्य या उसकी पत्नी या उसका पति स्टीमर द्वारा स्टीमर पास के बिना यात्रा करता/करती है वहां वह ऐसी यात्रा के बारे में साधारण नियमों द्वारा शासित होगा/होगी]

17. (1) जब कभी कोई सदस्य धारा 6 के अधीन दिये गये रेलवे पास का प्रयोग करके यात्रा करे, तो यात्रा आरम्भ करने से पहले वह प्रपत्र 'ख' में दिये गये सदस्य के रेल यात्रा का प्रपत्र भरेगा और यात्रा की समाप्ति पर स्टेशन पर गाड़ी से उतर कर उस प्रपत्र को रेल टिकट लेने वाले कर्मचारी को दे देगा। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक सदस्य को एक पुस्तिका दी जायेगी जिसमें मशीन से संख्यांकित प्रपत्र 'ख' की पच्चीस प्रतियां होंगी।

(2) जब कभी कोई सदस्य रेलवे में स्थान आरक्षित कराना चाहे, तो वह प्रपत्र 'ग' में दिया गया प्रपत्र भरेगा।

---

8 दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा प्रतिस्थापित।

9 दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा प्रतिस्थापित।

10 दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा प्रतिस्थापित।

11 दिनांक 10 मई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243(ङ) द्वारा अन्तःस्थापित।

*12[17क. जब कभी किसी सदस्य की पति या पत्नी 13[धारा 6ख] के अधीन उपबंधित रेल पास का उपयोग करके कोई यात्रा करता है या करती है तो वह सदस्य यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व प्रपत्र ख-1 में यथा उपवर्णिर्त रेल यात्रा प्रारूप भरेगा। इस प्रकार भरा गया प्रपत्र यात्रा सामाप्त होने पर रेलगाड़ी से उतरने के बाद रेल टिकट लेने वाले कर्मचारी को सौंप दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए सदस्य के पति या पत्नी के उपयोग के लिए प्रपत्र ख-I की मशीन से संख्यांकित प्रतियां प्रार्थना करने पर, सदस्य को प्रदत्त की जाएंगी।]

14[17ख. जब कभी कोई व्यक्ति सदस्य के साथ उस समय यात्रा करता है, जब वह 15[धारा 6ख] के अधीन दिए गए रेल पास का उपयोग करके रेल यात्रा करता है, तब सदस्य, प्रपत्र ख-II में यथा-उपवर्णित रेल यात्रा प्रपत्र, यात्रा के प्रारम्भ से पूर्व से भरेगा। इस प्रकार भरा गया प्रपत्र, उस स्टेशन पर जहां रेल से उतरता है, यात्रा की समाप्ति पर रेल टिकट लेने वाले कर्मचारी को दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए एक पुस्तिका जिसमें पत्र ख-II की मशीन से संख्यांकित पच्चीस प्रतियां होंगी, प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी।]

16[17ग.] जब कभी कोई सदस्य, धारा 6क के अधीन प्रदत्त स्टीमर पास का उपयोग करके यात्रा करता है, यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व वह प्रपत्र ख-III में यथा-उपवर्णित सदस्य का स्टीमर यात्रा प्रपत्र भरेगा और जलयात्रा की समाप्ति का प्रपत्र को जलयान के मास्टर को देगा। इस प्रयोजनार्थ प्रपत्र ख-III की मशीन से संख्यांकित 25 प्रतियों की पुस्तिका सम्बद्ध सदस्य को प्रदत्त की जाएगी।

17घ. जब कभी किसी सदस्य की पत्नी/पति धारा 6क के अधीन उपबन्धित स्टीमर पास का प्रयोग करके यात्रा करती है या करता है तो वह सदस्य यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व प्रपत्र ख-IV में यथा-उपवर्णित स्टीमर यात्रा प्रपत्र भरेगा। इस प्रकार भरा गया प्रपत्र जलयात्रा की समाप्ति पर जलयान के मास्टर को दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ सदस्य की पत्नी या उसके पति द्वारा उपयोग के लिए प्रपत्र ख-IV की मशीन से संख्यांकित प्रतियों की पुस्तिका, प्रार्थना करने पर, सदस्य को प्रदत्त की जाएगी।

17ङ. धारा 6क के अधीन उपबन्धित स्टीमर पास का उपयोग करके यात्रा करते समय किसी सदस्य के साथ जब कभी कोई व्यक्ति हो, तो वह सदस्य यात्रा प्रांरभ करने के पूर्व प्रपत्र ख-V में यथा-उपवर्णित स्टीमर यात्रा प्रपत्र भरेगा। जलयात्रा की समाप्ति पर इस प्रकार से भरा गया प्रपत्र जलयान के मास्टर को दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ प्रपत्र ख-V की मशीन में संख्यांकित 25 प्रतियों की पुस्तिका सदस्य को दी जाएगी।

---

*12 दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा अन्त:स्थापित 21.08.1969 से प्रभावी।

13 दिनांक 10 मई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243(ङ) द्वारा अन्त:स्थापित।

14 दिनांक 29 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1785 द्वारा अन्त:स्थापित।

15 दिनांक 10 मई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243(ङ) द्वार प्रतिस्थापित।

16 दिनांक 10 मई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243(ङ) द्वारा अन्त:स्थापित।

[16क][17च.(1) यदि कोई सदस्य इस प्रकार शारीरिक रूप से असमर्थ है कि उसे वायुयान द्वारा यात्रा में परिचारी की आवश्यकता है तो वह, यथास्थिति राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष को दिए जाने वाले आवेदन के साथ डा0 राम मनोहर अस्पताल के चिकित्सकों के पैनल से एक प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा, जिसमें यह सत्यापित किया जाएगा कि असमर्थता स्थायी स्वरूप की है या अस्थायी स्वरूप की।

(2) यदि असमर्थता अस्थायी स्वरूप की है तो ऐसी असमर्थता की अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी और प्रारंभ में वह छह माह से अधिक की नही होगी।

(3) यदि सदस्य यह समझता है कि उपनियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् भी उस विमान द्वारा यात्रा के लिए परिचारी की आवश्यकता है, तो वह उपनियम (1) में निर्दिष्ट चिकित्सकों के पैनल के समक्ष ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए, जिसे उपनियम (2) के उपबंध लागू होंगे, पुन:उपस्थित होगा।]

[17][18.(1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रकार की किसी वापसी यात्रा के लिए यात्रा भत्ते के बीजक का भुगतान सदस्य को उसके द्वारा यात्रा किये जाने की तारीख से सात दिन से अधिक पहले नहीं किया जा सकता :

परन्तु यह कि यदि सदस्य बाद में उस तारीख को यात्रा न करे तो यात्रा भत्ते की ली गई अग्रिम राशि तुरन्त लौटा दी जाएगी।

(2) दैनिक भत्ते का बीजक केवल बीजक के प्रस्तुत किये जाने की तारीख तक के लिए देय होता है।]

[18][18क. जहां यात्रा या उसका कोई भाग किसी आकस्मिक स्टीमर द्वारा किया जाये तो सदस्य को प्रत्येक ऐसी यात्रा या उसके भाग के लिए स्टीमर में सब से ऊंचे दर्जे के एक सही तीन बटे पांच भाड़े (भोजन के बिना) के बराबर राशि मिल सकेगी। जहां यात्रा या उसका कोई भाग समुद्र या नदी द्वारा वाष्प नौका (स्टीम लांच) या किसी अन्य जहाज, स्टीमर के अतिरिक्त से की जाए, तो सदस्य को इस प्रकार की गई प्रत्येक यात्रा या उसके किसी भाग के लिए [19](0.32 पैसे प्रति किलोमीटर) की दर से भाड़ा दिया जा सकेगा।]

[19क][18ख.(1) प्रत्येक सदस्य जैसे ही वह संसद के किसी भी सदन के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित होता है, नामनिर्देशिती की विशिष्टियां उल्लिखित करते हुए प्रारूप ड. में नामनिर्देशन संसद के संबंधित सदन के सचिवालय को देगा जो संदस्य की मृत्यु होने की दशा में उस सदस्य की अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए तत्समय

16क दिनांक 2 नवम्बर, 1979 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 611(ङ) द्वारा अन्त:स्थापित।

17 दिनांक 24 जनवरी, 1958 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित का0 नि0 अ0 342 द्वारा प्रतिस्थापित।

18 दिनांक 24 जनवरी, 1959 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1286 द्वारा अन्त:स्थापित।

19 दिनांक 10 मई, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

19क दिनांक 1 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 239(ङ) द्वारा अन्त:स्थापित।

प्रवृत्त नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय और उसकी मृत्यु के समय तक संदत्त वेतन, अतिरिक्त सुविधा भत्ता, दैनिक भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे आदि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन नामनिर्देशिती संदाय को दावा करने के पूर्व उस सदन के सचिवालय को, जिसके लिए मृत सदस्य निर्वाचित या नामनिर्देशित हुआ था, प्रारूप 'च' में एक बन्धपत्र देगा।]

अधिनियम के अधीन भत्तों का दावा करने के प्रयोजन के लिये सदस्य द्वारा दिये जाने वाले प्रमाणपत्रों का प्रारूप

19. जो सदस्य इन नियमों के अधीन किसी यात्रा या अन्य भत्तों का दावा करे उसे निम्नलिखित प्रारूप में एक प्रमाण-पत्र द्वारा अपने दावे की पुष्टि करनी होगी, अर्थात्

[20][मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार उक्त सूचना सही है। इस बिल में उल्लिखित अवधि के लिए मैंने किसी अन्य सरकारी स्रोत से यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के लिए दावा नही किया है।]

[21][* * * * *]

23. (1) जब कभी कोई सरकार को देय धन जैसे कि मकान का किराया, टेलीफोन का देय धन आदि सदस्य की ओर बाकी बताया जाये और सम्बन्धित प्राधिकारी से उसके समर्थन में समुचित दावे या बीजक (बिल) प्राप्त हो जायें, तो ऐसे धन के बराबर की राशि सदस्य के लिए अथवा उसकी ओर से तैयार किये जाने वाले अगले वेतन या यात्रा और दैनिक भत्तों के बीजकों में से काट ली जायेगी और शेष राशि उसे दे दी जायेगी।

(2) साधारणतया सदस्य की ओर बाकी कोई गैर-सरकारी देय धन उसके वेतन या भत्तों से वसूल नहीं किया जायेगा परन्तु जहां ऐसा देय धन उसके संसदीय कर्तव्यों के दौरान उसे प्रदान की गई कुछ सेवाओं के कारण हो जैसे कि जब वह किसी संसदीय समिति के साथ दौरे पर हो और इस प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय के पदाधिकारियों की प्रार्थना पर अर्ध-सरकारी संस्थाओं या गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा अथवा उनके कहने पर की गई हो और जहां ऐसे सदस्य ने बार-बार प्रार्थना किये जाने पर भी इस प्रकार के देय धन का भुगतान न किया हो, तो उसकी वसूली ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक भत्ते के बीजकों से की जा सकेगी।

24. यदि इन नियमों के निर्वाचन का कोई प्रश्न उठे तो वह प्रश्न संयुक्त समिति को सौंपा जायेगा और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(एम0 14-एम0 एम0/56)

---

20 दिनांक 30 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 383(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

21 नियम 20,21, और 22 का दिनांक 30 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 383(ङ) द्वारा लोप किया गया।

प्रपत्र 'क'

(नियम 8 देखिए)

मैंने .... कारण (यहां कारण लिखिए) दिनांक ....से अपना प्रायिक निवास स्थान...से ....बदल दिया है।

आगे से मुझे .... से यात्रा भत्ता दिया जाए।

हस्ताक्षर ....

विभाजन संख्या....................

दिनांक..............................

[22][प्रपत्र 'ख']

[देखिए नियम 17(1)]

<table>
<tr>
<td>
संख्या................
<u>लोक सभा सचिवालय</u>
राज्य सभा सचिवालय

<u>सदस्य का रेल यात्रा प्रपत्र</u>
पुस्तक पर्ण

मै...से ....स्टेशन तक ....स्टेशन होते हुए ....श्रेणी* में यात्रा कर रहा हूँ [23][और मैंने अपनी यात्रा दिनांक ....20.......... को एक व्यक्ति के साथ/अकेले पहले दर्जे में प्रारम्भ की है।]
मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की संख्या........................... है।

विभाजन सं0___

सदस्य, <u>लोक सभा</u>
राज्य सभा

(सदस्य के रखने के वास्ते)

*I/II/III/वातानुकूलित III शयनयान आदि।
</td>
<td>
संख्या................
लोक सभा सचिवालय
राज्य सभा सचिवालय

<u>सदस्य का रेल यात्रा प्रपत्र</u>
पर्ण

मै...से ....स्टेशन तक ....स्टेशन होते हुए ....श्रेणी* में यात्रा कर रहा हूँ [23][और मैंने अपनी यात्रा दिनांक ....20.......... को एक व्यक्ति के साथ/अकेले पहले दर्जे में प्रारम्भ की है।]
मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की संख्या........................... है।

विभाजन सं0___

सदस्य, <u>लोक सभा</u>
राज्य सभा

(यात्रा की समाप्ति पर रेल टिकट लेने वाले कार्यचारी को सौंपने के वास्ते)

*I/II/III/वातानुकूलित III शयनयान आदि।
</td>
</tr>
</table>

---

22 दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा प्रतिस्थापित – 21 अगस्त, 1969 से प्रभावी।

23 दिनांक 29 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1785 द्वारा प्रतिस्थापित।

[24][प्रपत्र 'ख'-I]

[देखिए नियम 17 (क)]

संख्या................ **<u>लोक सभा सचिवालय</u>** **राज्य सभा सचिवालय** **सदस्य के पति या पत्नी की** **<u>रेल यात्रा का प्रपत्र</u>** **पुस्तक पर्ण** मेरी पत्नी/मेरे पति श्रीमती/श्री.................................. ....(प्रायिक निवास स्थान) से दिल्ली/ नई दिल्ली तक और दिल्ली/नई दिल्ली से ....(प्रायिक निवास स्थान) तक...............के द्वारा लोक सभा/राज्य सभा के .... सत्र की बाबत ....की यात्रा आरम्भ करके श्रेणी* में यात्रा कर रही/रहा है। मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की संख्या ....है। मेरे पति या पत्नी के रेल पास की संख्या ....है। विभाजन सं0................सदस्य, <u>लोक सभा</u> राज्य सभा (सदस्य द्वारा प्रतिधारित करने और उपयोग करने के बाद लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को वापस करने के लिए) *I/II/III/वातानुकूलित III शयनयान आदि।	**संख्या................** **<u>लोक सभा सचिवालय</u>** **राज्य सभा सचिवालय** **सदस्य के पति या पत्नी की** **रेल यात्रा का प्रपत्र** **पर्ण** मेरी पत्नी/मेरे पति श्रीमती/श्री.................................. ....(प्रायिक निवास स्थान) से दिल्ली/ नई दिल्ली तक और दिल्ली/नई दिल्ली से ....(प्रायिक निवास स्थान) तक...............के द्वारा लोक सभा/राज्य सभा के .... सत्र की बाबत ....की यात्रा आरम्भ करके श्रेणी* में यात्रा कर रही/रहा है। मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की संख्या ....है। मेरे पति या पत्नी के रेल पास की संख्या ....है। विभाजन सं0................सदस्य, <u>लोक सभा</u> राज्य सभा (यात्रा की समाप्ति पर रेल टिकट लेने वाले कार्यचारी को सौंपने के लिए) *I/II/III/वातानुकूलित III शयनयान आदि।

---

24 दिनांक 19 अप्रैल, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 573 द्वारा अन्त:स्थापित-21 अगस्त, 1969 से प्रभावी।

[25][प्रपत्र 'ख'-II]

[देखिए नियम 17 (ख)]

संख्या................	संख्या................
<u>लोक सभा सचिवालय</u> **राज्य सभा सचिवालय**	**लोक सभा सचिवालय** **राज्य सभा सचिवालय**
संसद सदस्य के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति के उपयोग के लिए रेल **<u>यात्रा प्रपत्र</u>** **पुस्तक पर्ण**	**संसद सदस्य के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति के उपयोग के लिए रेल** **<u>यात्रा प्रपत्र</u>** **पर्ण**
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....ने, जो मेरे साथ है, पहली श्रेणी में....................(स्टेशन) से..........................(स्टेशन) तक, वाया..............यात्रा की है जिसने ....20.....को यात्रा प्रारम्भ की है।	प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....ने, जो मेरे साथ है, पहली श्रेणी में....................(स्टेशन) से..........................(स्टेशन) तक, वाया..............यात्रा की है जिसने ....20.....को यात्रा प्रारम्भ की है।
मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की संख्या ....है।	मेरे पहचान-पत्र एवं रेल पास की संख्या ....है।
मेरे पति या पत्नी के रेल पास की संख्या ....है।	मेरे पति या पत्नी के रेल पास की संख्या ....है।
विभाजन सं0....... सदस्य, <u>लोक सभा</u> राज्य सभा	विभाजन सं0....... सदस्य, <u>लोक सभा</u> राज्य सभा
(सदस्य द्वारा प्रतिधारित करने और उपयोग करने के बाद लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को वापस करने के लिए)	(यात्रा की समाप्ति पर रेल टिकट लेने वाले कर्मचारी को सौंपने के लिए)

25 दिनांक 29 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1785 द्वारा अन्तःस्थापित।

[26][प्रपत्र 'ख'-III]

[देखिए नियम 17ग]

संख्या................ **लोक सभा सचिवालय** **राज्य सभा सचिवालय** **सदस्य का स्टीमर यात्रा प्रपत्र** **पुस्तक पर्ण** मैं.......................................श्रेणी (बिना आहार) में ....(पत्तन) से................................. (पत्तन) की यात्रा कर रहा हूँ और मैंने अपनी यात्रा का प्रारम्भ ....20.......... को किया है। मेरे स्टीमर पास की संख्या ....है। विभाजन सं0......सदस्य, लोक सभा राज्य सभा (सदस्य द्वारा रखने और उपयोग के पश्चात् लोक/राज्य सभा सचिवालय को वापस करने के लिए)	**संख्या................** **लोक सभा सचिवालय** **राज्य सभा सचिवालय** **सदस्य का स्टीमर यात्रा प्रपत्र** **पर्ण** मैं................................श्रेणी (बिना आहार) में ....(पत्तन) से................................. (पत्तन) की यात्रा कर रहा हूँ और मैंने अपनी यात्रा का प्रारम्भ ....20.......... को किया है। मेरे स्टीमर पास की संख्या ....है। विभाजन सं0......सदस्य, लोक सभा राज्य सभा (जलयात्रा की समाप्ति पर जलयान के मास्टर को देने के लिए)

---

[26] दिनांक 10 मई,, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243(ङ) द्वारा अन्तःस्थापित।

[27][प्रपत्र 'ख'-IV]

[देखिए नियम 17(घ)]

संख्या................ **लोक सभा सचिवालय** **राज्य सभा सचिवालय** **पत्नी या पति का स्टीमर यात्रा प्रपत्र** **पुस्तक पर्ण** मेरी पत्नी श्रीमती/मेरा पति श्री..श्रेणी (बिना आहार) में ....(सदस्य का प्रायिक निवास स्थान/भारत की भूमि में निकटतम पत्तन) से .... (भारत की भूमि में निकटतम पत्तन/सदस्य का प्रायिक निवास स्थान) को .... को यात्रा प्रारम्भ करते हुए लोक सभा/राज्य सभा के ....सत्र के सम्बन्ध में यात्रा कर रही है/कर रहा है। मेरे स्टीमर पास की संख्या..................................है। मेरी पत्नी/मेरे पति के स्टीमर पास की संख्या .... है। विभाजन सं0........ सदस्य, <u>लोक सभा</u> राज्यसभा (सदस्य द्वारा रखने और उपयोग के पश्चात् लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को वापस करने के लिए)	**संख्या................** **लोक सभा सचिवालय** **राज्य सभा सचिवालय** **पत्नी या पति का स्टीमर यात्रा प्रपत्र** **पर्ण** मेरी पत्नी श्रीमती/मेरा पति श्री..श्रेणी (बिना आहार) में ....(सदस्य का प्रायिक निवास स्थान/भारत की भूमि में निकटतम पत्तन) से ....(भारत की भूमि में निकटतम पत्तन/सदस्य का प्रायिक निवास स्थान) को .... को यात्रा प्रारम्भ करते हुए लोक सभा/राज्य सभा के ....सत्र के सम्बन्ध में यात्रा कर रही है/कर रहा है। मेरे स्टीमर पास की संख्या..................................है। मेरी पत्नी/मेरे पति के स्टीमर पास की संख्या .... है। विभाजन सं0........ सदस्य, <u>लोक सभा</u> राज्यसभा (जलयात्रा की समाप्ति पर जलयान के मास्टर को देने के लिए)

[27] दिनांक 10 मई,, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243(ङ) द्वारा अन्त:स्थापित।

[28][प्रपत्र 'ख'-V]

[देखिए नियम (17ङ)]

संख्या................ **लोक सभा सचिवालय** **राज्य सभा सचिवालय** **संसद सदस्य के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति के उपयोग के लिए स्टीमर यात्रा** **प्रपत्र** **पुस्तक पर्ण** यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ...., जो मेरे साथ यात्रा कर रहा है/रही है, उसने .... (पत्तन) से .... (पत्तन) को (बिना आहार) निम्नतम श्रेणी में ....20.......... को यात्रा प्रारम्भ करते हुए यात्रा की है। मेरे स्टीमर पास की संख्या.................है। विभाजन सं0.............. सदस्य, लोक सभा राज्य सभा (सदस्य द्वार रखने और उपयोग के पश्चात् लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को वापस करने के लिए)	**संख्या................** **लोक सभा सचिवालय** **राज्य सभा सचिवालय** **संसद सदस्य के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति के उपयोग के लिए स्टीमर यात्रा** **प्रपत्र** **पर्ण** यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ...., जो मेरे साथ यात्रा कर रहा है/रही है, उसने .... (पत्तन) से .... (पत्तन) को (बिना आहार) निम्नतम श्रेणी में ....20.......... को यात्रा प्रारम्भ करते हुए यात्रा की है। मेरे स्टीमर पास की संख्या.................है। विभाजन सं0.............. सदस्य, लोक सभा राज्य सभा (जलयात्रा की समाप्ति पर जलयान के मास्टर को देने के लिए)

---

28 दिनांक 10 मई,, 1973 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 243(ङ) द्वारा अन्त:स्थापित।

।प्रपत्र 'ग'।
[देखिए नियम 17(2)]

लोक सभा
राज्य सभा

सेवा में,

स्टेशन सुपरिंटेंडेंट/मास्टर
....

कृपया दिनांक .... को गाड़ी संख्या........................ से मेरी ....से .... तक यात्रा के लिए .... दर्जे का एक बर्थ आरक्षित कर दीजिए।

हस्ताक्षर..

सदस्य, लोक सभा
राज्य सभा

पहचान-पत्र एवं रेल पास संख्या...........
विभाजन संख्या...............................
पता ....
....
....

---

[29][प्रपत्र 'घ']
प्रस्थान और वापसी यात्रा का प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार उक्त सूचना सही है। इस बिल में उल्लिखित अवधि के लिए मैंने किसी अन्य सरकारी स्रोत से यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के लिए दावा नहीं किया है।

हस्ताक्षर ....
नाम ....
सदस्य, लोक सभा
पहचान पत्र संख्या..................

29 दिनांक 30 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 383(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[*][प्रपत्र 'ङ']

[देखिए नियम 18ख (1)]

नामनिर्देशन प्रारूप

(दो प्रतियों में भरा जायेगा)

मैं, ... सदस्य, लोक सभा/राज्य सभा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नाम-निर्देशित करता हूँ जो मेरे परिवार का सदस्य है/के सदस्य हैं और उसे/उन्हें लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय द्वारा मुझे शोध्य तथा असंदत्त वेतन/[**]अतिरिक्त सुविधा भत्ता/यात्रा/दैनिक भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे और कोई अन्य भत्ते तथा दावे मेरी मृत्यु की दशा में, प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूँ।

मूल नाम-निर्देशिती			आनुकल्पिक नाम-निर्देशिती		
नाम-निर्देशिती का नाम और पता	सदस्य से संबंध	आयु	नाम-निर्देशिती का नाम और पता	सदस्य से संबंध	आयु

तारीख ....20.......... स्थान ....

साक्षी के हस्ताक्षर

1. ....
   नाम..
   पता..
   ....

2. ....
   नाम..
   पता.......................................
   ....

सदस्य के हस्ताक्षर........................

नाम..

क्रम संख्या.................................

---

* दिनांक 1 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 239(ङ) द्वारा अन्तःस्थापित।

** अब निर्वाचन क्षेत्र भत्ता।

टिप्पण:- सदस्य को सलाह दी जाती है कि यह उसके नाम-निर्देशती के हित में होगा कि नाम-निर्देशन पत्रों तथा संबंधित सूचनाओं और अभिस्वीकृतियों की प्रतियां सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएं ताकि सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में वे हिताधिकारियों को प्राप्त हो सकें।

*।प्रपत्र 'च'।
[देखिए नियम 18ख(2)]

लोक सभा/राज्य सभा के मृत सदस्य को शोध्य वेतन, अतिरिक्त सुविधा भत्ता यात्रा **और दैनिक भत्ता तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा अन्य भत्ते तथा दावों की बकाया रकम लेने के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र का प्रपत्र।

श्री ....अपनी मृत्यु के समय लोक सभा/(मृतक का नाम) राज्य सभा के सदस्य थे और उनको.............रुपये (रु0...........) की रकम (उनके उक्त पद की बाबत वेतन, अतिरिक्त सुविधा भत्ता, यात्रा तथा दैनिक भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के लिए) शोध्य थी और आबद्ध व्याक्ति..

(दावेदार का नाम)

(जिसे इसमें इसके पश्चात् "दावेदार" कहा गया है) उक्त रकम की बाबत श्री...

(मृतक का नाम)

के वारिस के रूप में उक्त रकम का हकदार होने का दावा करता है/करती हैं किन्तु उसमें उक्त श्री.............................की संपति और चीजबस्त जिसके अन्तर्गत ....रुपये (रु0........................) (मृतक का नाम)

की उक्त रकम है, प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त नहीं किया है और दावेदार ने लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय का समाधान कर दिया है कि वह पूर्वोक्त रकम का/की हकदार है और यह कि यदि दावेदार से उक्त श्री.......................... (मृतक का नाम)................................. की संपत्ति और चीजबस्त की बाबत (जिसके अन्तर्गत...................रु0) (रु0.....................) की उक्त रकम है, प्रशासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र पेश करने की अपेक्षा की जायेगी तो इसमें असम्यक विलम्ब और कष्ट होगा।

और लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय यह चाहता है कि दावेदार को उक्त रकम का संदाय कर दिया जाए किन्तु इससे पहले कि दावेदार को उक्त रकम का संदाय किया जाए वह एक प्रतिभू/दो प्रतिभुओं सहित एक बंधपत्र उन सभी दावों मद्दे जो लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय की क्षतिपूर्ति करने और उसे क्षतिपूर्ति और हानिरहित रखने के लिए हों, निष्पादित करे जो उक्त श्री..को उपरोक्त रूप से शोध्य किया जाए। (मृतक व्यक्ति का नाम)

---

* दिनांक 1 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 239(ङ) द्वारा अन्त:स्थापित।

** अब निर्वाचन क्षेत्र भत्ता।

इस विलेख से सब को ज्ञात हो कि मै, ... (दावेदार का पूरा नाम और निवास स्थान का पता) (मृतक से संबंध कथित करें) और मैं/हम..................... (प्रतिभू या प्रतिभुओं के पूरे नाम) जो उसकी ओर से प्रतिभू हैं, भारत के राष्ट्रपति के प्रति............ (रु0................) की रकम का राष्ट्रपति को संदाय करने के लिए दृढ़तापूर्वक आबद्ध है। इस रकम का संदाय पूर्णतः और सही रूप में करने के लिए हम में से प्रत्येक इस विधि द्वारा स्वयं को अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशियों को संयुक्ततः और पृथकतः दृढ़तापूर्वक आबद्ध करते हैः

परन्तु यह कि यदि दावेदार को...............रुपये (रु0.............) की उक्त रकम का संदाय कर दिया जाता है तो दावेदार या उसका/उसके प्रतिभू किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा (............रुपये) (रु0...........) को पूर्वोक्त रकम या उसके किसी भाग की बाबत लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय के विरुद्ध दावा किए जाने की दशा में उक्त रकम या उसके ऐसे भाग का जिसका व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दावा किया जाए; संदाय करेंगे या करवायेंगे या लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय की, पूर्वोक्त रकम और उसके संबंध में किए गए किसी दावे के परिणामस्वरूप उपगत सभी खर्चे से संबंधित सभी दायित्वों से अन्यथा उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे और उसको हानिरहित रखेंगे तो उपरलिखित बंधपत्र या बाध्यता शून्य हो जाएगी अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत और बलशील बनी रहेगी।

उक्त लिखित बंधपत्र के साक्ष्यस्वरूप हम

साक्षी (1) (उपरलिखित नामित दावेदार)

साक्षी (2) (उपरलिखित नामित प्रतिभू)

साक्षी (3) (उपरलिखित नामित प्रतिभू)

ने आज तारीख...............20........ को इस पर अपने हस्ताक्षर किए है।

[एफ011/3/एम0एस0ए0/80]

आवास और टेलीफोन सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1956

का0नि0आ0 1973- संसद सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति एतद् द्वारा उक्त धारा की उपधारा (4) यथापेक्षित रूप में राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित एवं पुष्ट किए गए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

आवास और टेलीफोन सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1956[*]
(12 दिसम्बर, 2004 तक संशोधित रूप में)

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) ये नियम आवास ओर टेलीफोन सूविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1956 कहलायेंगे।

(2) ये नियम अप्रैल, 1955 के प्रथम दिन को प्रवृत हुए समझे जायेंगे।

2. [1]**[सदस्यों को आवास-सुविधा आदि की सूविधाएं**-(1) प्रत्येक सदस्य अपने पूरे कार्यकाल तक फ्लैट के रूप में [1क][अनुज्ञप्तिफीस] के संदाय के बिना आवास सुविधा का हकदार होगा:

[1ख]परन्तु यह कि जहां सदस्य को उसके अनुरोध पर बंगले के रूप में आवास सुविधा आबंटित की जाती है, वहां वह यदि ऐसी आवास सुविधा का हकदार है तो वह सम्पूर्ण सामान्य अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा।]

[1ग][परन्तु यह और कि कोई सदस्य, रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसे निर्वाचित घोषित किए जाने के ठीक पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) के उपबंधे के अधीन ऐसी घोषणा की राजपत्र में अधिसूचना से पूर्व दिल्ली आता है तो उसे दिल्ली में उसके पहुंचने की तारीख से उसे, यथास्थिति, फ्लैट या बंगले के रूप में सरकारी आवास आवंटित किए जाने तक मार्गास्थ आवास सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।]

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "फ्लैट" के अन्तर्गत होस्टल वास-सुविधा है।]

---

[*] दिनांक 8 मई, 1956 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, (सा0 का0 नि0 1973) में प्रकाशित।

[1] दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 13(अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1क] दिनांक 28 अक्टूबर, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1169(अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1ख] दिनांक 13 मई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 453(अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1ग] दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 702(अ) द्वारा अन्त:स्थापित।

[1घ][(2) प्रत्येक सदस्य, उपनियम, (1) के अधीन उसे आंबटित किसी वास-सुविधा की बाबत या दिल्ली में ऐसी किसी निजी वास-सुविधा की बाबत जिसमें वह निवास कर रहा है, में जल और विद्युत प्रदाय के लिए प्रभारों का संदाय किए बिना प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को आरम्भ होने वाले वर्ष में विद्युत की प्रतिवर्ष अधिकतम [1ङ]{50,000} यूनिट (लाईट/पावर मीटर या एक साथ रखे गये प्रत्येक के [1च]{25,000} यूनिट) और [1छ]{4000} किलोलीटर प्रतिवर्ष जल का प्रभार मुफ्त उपभोग करने का हकदार होगा:

परन्तु लाइट मीटर पर मापित [1ज]{50,000} यूनिट तक प्रभार का संदाय किए बिना प्रतिवर्ष विद्युत का प्रदाय उन्हीं संसद सदस्यों को किया जा सकेगा, जिनके निवास में पावर मीटर संस्थापित नहीं है।]

[1जक]"परन्तु यह और कि यदि पति और पत्नी, दोनों, संसद के किसी या उसी सदन के सदस्य हैं और एक ही वास-सुविधा में निवास कर रहें हैं तो इस उपनियम के अधीन यथा अनुज्ञेय यूनिटों में विद्युत और किलोलीटरों में जल, पृथक रूप से संगणित होंगे:

परन्तु यह भी कि जहां कोई सदस्य, किसी वर्ष में इस उप नियम के अधीन यथा अनुज्ञेय विद्युत के यूनिटों और किलालीटरों में जल का उपभोग नहीं करता है वहां, विद्युत के यूनिटों का और किलोलीटरों मे जल का अतिशेष, उसके स्थान के रिक्त हाने तक, पश्चात्वर्ती वर्षों में अग्रनीत होगा:

परन्तु यह भी कि जहां कोई सदस्य, किसी विशिष्ट वर्ष में उन विद्युत के यूनिटों और किलोलीटरों में जल, जिसके लिए वह हकदार है, से अधिक उपभोग करता है, वहां उसके द्वारा इस प्रकार अधिक उपभोग किए गए, विद्युत के यूनिट और किलोलीटर में जल, आगामी वर्ष के लिए उपलब्ध विद्युत के यूनिटों और किलोलीटरों में जल, से समायोजित होंगे:

परन्तु यह भी कि यदि किसी सदस्य का स्थान, त्यागपत्र या पदावधि की समाप्ति के कारण, रिक्त होता है, तो वह उस तारीख से, जिसको उसका स्थान रिक्त हुआ है, एक मास की अधिकतम अवधि के भीतर, इस उप नियम के अधीन उस वर्ष के लिए यथा उपलब्ध, विद्युत के यूनिट और किलोलीटर में जल का अतिशेष, उपभोग करने का हकदार होगा।"

[1घ] दिनांक 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 508(अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1ङ] दिनांक 25 अक्टूबर, 2001 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 806(अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1च] दिनांक 25 अक्टूबर, 2001 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 806(अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1छ] दिनांक 25 अक्टूबर, 2001 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 806(अ) द्वारा अन्तःस्थापित।

[1ज] दिनांक 25 अक्टूबर, 2001 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 806(अ) द्वारा अन्तःस्थापित।

[1जक] दिनांक 12दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744(अ) द्वारा अन्तःस्थापित।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी वास-सुविधा के संबंध में इसमें किये गये किसी सुधार या वृद्धि के कारण अथवा इसमें उपलब्ध कराई गई किसी अतिरिक्त सेवा के कारण किराया देय हो वहां इस प्रकार के सुधार वृद्धि या अतिरिक्त सेवा के संबंध में [1झ]{अनुज्ञप्ति फीस} देय सामान्य किराये से 25 प्रतिशत कम होगी।

[1ञ*][परन्तु यह कि सदस्यों को क्रमश: टिकाऊ फर्नीचर की बाबत [1अक](60,000) रुपए और गैर-टिकाऊ फर्नीचर की बाबत [1अख](15,000) रुपए की विद्यमान धनीय सीमा के भीतर रहते हुए प्रभार मुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा:

परन्तु यह कि जहां अतिरिक्त व्यवस्था, जैसे कि स्नानागार और रसोईघर में टाइलें लगाने की मांग हो, वहां यह सुविधा तथा प्रत्येक तीन माह की अवधि के बाद सोफा कवर और पर्दे धुलवाने की सुविधा सदस्य को नि:शुल्क प्राप्त होगी।]

[1ट]परन्तु फर्नीचर की अतिरिक्त मदों के लिए किराया, किसी सदस्य के निवास पर इस प्रकार उपलब्ध कराए गए फर्नीचर के अवक्षयित मूल्य पर प्रभारित होगा ।

स्पष्टीकरण 1. इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "सुधार या वृद्धि" का तात्पर्य अतिरिक्त वास-सुविधा, फर्नीचर, टेबल और पैडस्टल पंखों, टेबल लैम्पों, फ्लौर स्टैण्डर्ड लैम्पों, बायलरों, प्रशीतकों, डैजर्ट कूलरों और वातानुकूलन यूनिटों की व्यवस्था से अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2. "फर्नीचर" से फर्नीचर की ऐसी मदें अभिप्रेत हैं, जो किसी सदस्य को उसे आवंटित निवास-स्थान के लिए मिलती हैं और इसके अन्तर्गत किसी सदस्य द्वारा अपने निवास स्थान में किराए पर ली गई अतिरिक्त मदें भी है।

स्पष्टीकरण 3. "अतिरिक्त सेवा" से अभिप्रेत है:-

(क) सदस्यों के निवास स्थान से संबद्ध झाड़ूकशों, जमादारों तथा कर्मचारियों को झाड़ू उपलब्ध कराना;
(ख) सदस्यों को वास-सुविधाओं पर बिजली के बल्बों के प्रदाय;
(ग) फूलों की क्यारियों का रख-रखाव;
(ध) सदस्यों के फायदे के लिए बनाए गए किसी स्थान (जैसे पूछताछ कार्यालय) का रख-रखाव; और
(ङ) सदस्यों के फायदे के लिए उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सुविधा।

[1झ] दिनांक 28 अक्टूबर, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1169(अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1ञ*] दिनांक 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 508(अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1अक] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) द्वारा अन्त:प्रतिस्थापित।

[1अख] दिनांक 12 दसिम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) द्वारा अन्त:प्रतिस्थापित।

[1ट] दिनांक 12 दसिम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) द्वारा अन्त:प्रतिस्थापित सा0 का0 नि0 744(ङ)।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

आवास और टेलीफोन सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1956 के नियम 2 का संशोधन

संसद सदस्यों को आबंटित किए गए निवासों के किराए के निर्धारण में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया गया क्योंकि यह समझा गया था कि आवास और टेलीफोन सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1956 के नियम 2 के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1955 के पश्चात् संसद सदस्यों के लिए निर्माण किए गए या संसद सदस्यों के निवासों के पूल में जोडे़ गये निवास नहीं हैं। वास्तव में नियम 2 में तथा दिए गए निवासों के किराए से संबंधित संसद सदस्यों को अनुज्ञात रियायत ऐसे सदस्यों को भी अनुज्ञात की जाती थी जिनको 1 अप्रैल, 1955 के पश्चात निर्माण किए गए संसद सदस्यों के पूल में जोड़े गए निवास आवंटित किये गये थे। अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह समझा गया था कि 1 अप्रैल, 1955 के पश्चात् संसद सदस्यों के पूल में जोड़े गए या संसद सदस्यों के पूल के लिए निर्मित किए गए निवासों को अंतर्विष्ट करने के लिए विद्यमान नियम 2 का, समुचित संशोधन किया जाए। यथा अधिसूचित संशोधन वह आवश्यकता पूरी करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि यह संशोधन संसद सदस्यों के लिए किन्हीं रियायतों को अनुज्ञात करने के प्रयोजनार्थ निवासों को अंतर्विष्ट करने को लिए है, संसद के किसी भी सदस्य पर उक्त संशोधन के जारी करने से और उसे भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल रूप से प्रभावी होना सम्भाव्य नहीं है।

[फा0सं04/1/एम0एस0/72-खंड-I]

[2][**2क. किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात् सरकारी आवास रखे रहना-** यदि किसी सदस्य की उसकी पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्य उस आवास को [2क][उन्हीं निबंधनों पर जो सदस्य की मृत्यु के ठीक पूर्व उसे लागू थे] अधिकतम [2कक]छह मास की अवधि तक रखे रहने के लिए हकदार होंगे जिसके पश्चात् आबंटन रद्द हुआ समझा जाएगा।]

[2ख]परन्तु किसी मृतक सदस्य का परिवार, उसकी मृत्यु की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, उसकी पदावधि के दौरान उसको उस विशिष्ट वर्ष के लिए, निवास पर आबंटित ऐसे सदस्य को उपलब्ध विद्युत के अतिशेष यूनिटों और किलोलीटरों में जल के अतिशेष का उपभोग करने का हकदार होगा।

3. परिवहन व्यय के संबंध में कमी - सदस्य की प्रार्थना पर फर्नीचर की किसी चीज के उसके मकान पर ले जाने पर या वहां से लाने के कारण यदि कोई व्यय हो तो वह भी उस समय लागू नियमों के अधीन उसके संबंध में अन्यथा देय वास्तविक व्यय से 25 प्रतिशत कम होगा।

---

[2] दिनांक 29 मई, 1972 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 229(अ) द्वारा अन्तःस्थापित।

[2क] दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 10(अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2कक] 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2ख] 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744(ङ) द्वारा अन्तःस्थापित।

4. टेलीफोन व्यय के संबंध में छूट.- [3][(1) दिल्ली या नई दिल्ली में सदस्य के मकान पर या उसके कार्यालय में लगाये गये एक टेलीफोन के लगाने और किराये के सम्बन्ध में सदस्य को कोई व्यय नहीं देना होगा और सदस्य को किसी वर्ष उस टेलीफोन पर किए गए पहले [4][पचास हजार] स्थानीय कालों के सम्बन्ध में कुछ नहीं देना पड़ेगा।]

[5][(2) टेलीफोन के व्यय के सम्बन्ध में उपनियम (1) के अधीन मिलने वाली छूट के अतिरिक्त किसी संसदीय समिति का सभापति दिल्ली या नई दिल्ली में उसके मकान पर लगे हुए टेलीफोन से किये गये कालों के लिए कोई भी व्यय देने से मुक्त होगा।]

स्पष्टीकरण - इस उपनियम में "संसदीय समिति" में विधेयक सम्बन्धी प्रवर या संयुक्त समिति अथवा अन्य कोई तदर्थ समिति शामिल नहीं है।]

[6][(3) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सदस्य के या तो प्रायिक निवास स्थान पर या उसके द्वारा चुने गये स्थान पर जो -

(i) राज्य सभा के नाम-निर्देशित सदस्य को छोड़कर उस सभा के अन्य सदस्य के मामले में उस राज्य मे स्थित हो जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है [7][अथवा उस राज्य में जहां वहां निवास करता है];

(ii) लोक सभा के नाम-निर्देशित सदस्य को छोड़कर उस सभा के सदस्य के मामले में उस राज्य में स्थित हो जहां उसका निर्वाचन क्षेत्र हो [7क][अथवा उस राज्य में हो जिसमें वह रहता हो];

(iii) नाम-निर्देशित सदस्यों के मामले में यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित हो;

लगाए गए एक टेलीफोन के लगाने और किराये के संबंध में सदस्य को कोई व्यय नहीं देना होगा और सदस्य को किसी वर्ष उस टेलीफोन पर किये पहले [8][पचास हजार] स्थानीय कालों के संबंध में कुछ नहीं देना पड़ेगा;

---

3 दिनांक 23दसिम्बर, 1960 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1526 द्वारा नियम 4 के उपनियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित।

4 दिनांक 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 508 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

5 दिनांक 23 दसिम्बर, 1960 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1526 द्वारा अंतःस्थापित।

6 दिनांक 5 अगस्त, 1964 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1842 द्वारा अंतःस्थापित।

7 दिनांक 8 मई, 1970 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 830 द्वारा अंतःस्थापित।

7क दिनांक 8 मई, 1970 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 830 द्वारा अंतःस्थापित।

परन्तु सदस्य द्वारा चुना गया स्थान अथवा सभापति या अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, अनुमोदित स्थान विद्यमान टेलीफोन केन्द्र के कार्य में होगा।]

[8क][** ** ** ** ** **]
** ** ** ** ** **

[8ख][(4) किसी भी सदस्य द्वारा उपनियम (1) या उपनियम (3) के अधीन लगाए गए टेलीफोन के साथ जोड़े गए ऐसे अतिरिक्त कार्ड के लिए, जो लम्बाई में दस मीटर से अधिक नहीं है या प्लग और साकेट के लिए प्रभार देय नहीं होंगे।]

[8ग][(5) उपनियम(1) और उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञेय टेलीफोन प्रभारों की बाबत छूट के अतिरिक्त, निम्नलिखित में लगाए गए एक टेलिफोन के लगाए जाने और किराए की बाबत संसद सदस्य द्वारा कोई प्रभार देय नहीं होंगे,-

(क) दिल्ली या नई दिल्ली में उसके निवास-स्थान पर स्थति उसके कार्यालय में, या

(ख) उसके निवास के प्रायिक स्थान पर; या

(ग) अपने निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के भीतर उसके द्वारा चयनित किसी स्थान पर; या

(घ) उस राज्य के भीतर जिसमें वह निवास करता है, इन्टरनेट संयोजकता के प्रयोजनार्थ और कोई संसद सदस्य उस टेलीफोन के किसी वर्ष के दौरान की गई पहली पचास हजार स्थानीय कालों की बाबत कोई संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।]

[8घ]"(6)[कोई सदस्य, उसकी प्रार्थना पर, राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के एक मोबाइल फोन संयोजन और उसके निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग के लिए राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड के अन्य मोबाइल फोन संयोजन का उपभोग करने के लिए हकदार है और ऐसे मोबाइल फोन संयोजनों के रजिस्ट्रीकरण और किराए के संबंध में उसके द्वारा, कोई प्रभार संदेय नहीं होगा:

---

8 दिनांक 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 508 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

8क दिनांक 12 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744(ङ) द्वारा लोप किया गया।

8ख दिनांक 12 जुलाई, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1036 द्वारा अन्तःस्थापित।

8ग दिनांक 13 मई, 2000 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 454(अ) द्वारा अन्तःस्थापित।

8घ दिनांक 12दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

परंतुक ऐसे मोबाइल फोन संयोजनों से किसी सदस्य द्वारा की गई कालें, उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसको प्राप्त कुल मुफ्त स्थानीय कालों में से समायोजित की जाएंगी:

परंतु यह और कि जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सेवाएं, उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसको उपलब्ध कुल मुफ्त कालों के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं है, यहां वह, इस शर्त के अधीन कि प्राइवेट मोबाइल फोन संयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण और किराया प्रभारों को, स्वयं सदस्य के द्वारा वहन किया जाएगा, किसी अन्य प्राइवेट मोबाइल आपरेटर से ऐसी सुविधा का उपभोग कर सकेगा।"

"(7)कोई सदस्य, उपनियम (1), उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन उसको किसी एक टेलीफोन पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड से उपलब्ध ब्राडबैंड सुविधा का उपभोग कर सकेगा, और इस सुविधा के लिए प्रभारों हेतु, एक हजार पांच सौ रूपए प्रतिमास तक के अधिकतम संदाय को करने के लिए दायी नहीं होगा जो, यथास्थिति, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड को सीधे संदत्त किया जाएगा।"

[9]**[4क. टेलीफोन प्रभारों के बारे में अन्य छूट -** (1) जहां नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन लगाए गए टेलीफोन के बारे में मापन सुविधा उपलब्ध है, वहां उस टेलीफोन से की गई स्थानीय कॉलों और नियम 4 के उपनियम (1) और उपनियम (5) के अधीन लगाए गए टेलीफोन से की गई स्थानीय कॉलें एक साथ जोड़ी जाएंगी और किसी वर्ष के दौरान तीनों टेलीफोनों से की गई एक लाख पचास हजार स्थानीय कॉलों के बारे में सदस्य किसी संदाय का दायी नहीं होगा।

(2) जहां नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन लगाए गए टेलीफोन के बारे में मापन सुविधा उपलब्ध न हो, वहां कोई सदस्य उस टेलीफोन से की गई स्थानीय कॉलों की बाबत और नियम 4 के उपनियम (1) और उपनियम (5) के अधीन लगाए गए टेलीफानों में से प्रत्येक से की गई पचास हजार स्थानीय कॉलों के अतिरिक्त और पचास हजार स्थानीय कॉलों की बाबत किसी संदाय के लिए दायी नहीं होगा और ऐसी मुफ्त स्थानीय कॉलो की कुल संख्या किसी वर्ष के दौरान एक लाख पचास हजार स्थानीय कॉलो से अधिक नहीं होगी।

(3) जहां किसी सदस्य को या तो टेलीफोन नहीं दिया गया है या वह नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन टेलीफोन दिए जाने की वांछा नहीं करता है वहां वह नियम 4 के उपनियम (1) और उपनियम (5) के अधीन लगाए गए प्रत्येक टेलीफोन से की गई अतिरिक्त पचास हजार स्थानीय कॉलों की बाबत किसी संदाय का दायी नहीं होगा और ऐसी मुफ्त स्थानीय कॉलों की कुल संख्या किसी वर्ष के दौरान एक लाख पचास हजार स्थानीय कॉलों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

[9क][(3क) कोई सदस्य नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसे उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग करने के लिए कितने भी टेलीफोनों का उपयोग करने का इस शर्त के

---

9 दिनांक 23 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 718(अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

9क दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 701(अ) द्वारा अन्त:स्थापित।

अधीन रहते हुए हकदार है कि उक्त टेलीफोन उस नियम में अंतर्विष्ट स्थानों पर उसके नाम में होने चाहिएं, और नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसे उपलब्ध कराए गए तीन टेलीफोनों से भिन्न टेलीफोनों के लगाने और किराया प्रभार स्वयं सदस्य द्वारा वहन किए जाएंगे।]

(4) सदस्यों के ट्रंककाल बिल यथापूर्वोक्त एक लाख पचास हजार स्थानीय कॉल प्रतिवर्ष की सीमा के धनीय समतुल्य के भीतर समायोजित किए जा सकेंगे।

[9ख][(4क) जहां कोई सदस्य 1 अप्रैल, 2002 से या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी वर्ष में नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उपलब्ध कराए गए टेलीफोनों पर उसे उपलब्ध नि:शुल्क टेलींफोन कालों का उपयोग नहीं करता है तो अतिशेष अनप्रयुक्त टेलीफोन काल उसका स्थान रिक्त हाने तक पश्चात्वर्ती वर्षो के लिए अग्रनीत हो जाएंगे।]

(5) नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन लगाए गए तीनों टेलीफानों के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष कुल एक लाख पचास हजार मुफ्त स्थानीय कॉलों के योग से ऊपर की गई टेलीफोन कॉलें, अगले वर्ष के लिए तीनों टेलीफोनों पर अनुज्ञात एक लाख पचास हजार मुफ्त स्थानीय कॉलों में से समायोजित की जा सकेंगी।

[9खख][** ** ** ** ** **]

[9ग][(7) सदस्य नियम 4 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (5) के अधीन उसे उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों से अधिक किए गए स्थानीय कॉलों के प्रभारों की बाबत संदाय करने का दायी होगा।]

4ख. सदस्य की मृत्यु की दशा में परिवार द्वारा टेलीफोन का रखा जाना - जहां किसी सदस्य की मृत्यु उसके पद की अवधि के दौरान हो जाती है वहां उसका परिवार सदस्य की मृत्यु से दो मास के अधिक अवधि के लिए टेलीफोन रखने और ऐसी सुविधाओं का, जो नियम 4 और 4क के उपबंधों के अधीन उसकी मृत्यु के ठीक पहले उक्त सदस्य को उपलब्ध थी, उपभोग करने का हकदार होगा।

5. कुछ मामलों में नियम लागू नहीं होंगे - किसी सदस्य को सदस्य के रूप में जैसा आवास लेने का हक हैं उससे अधिक अस्थायी अथवा स्थायी रूप में दिये गये किसी आवास के मामले में इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी:

[9ख] दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 701 (ङ) द्वारा अन्त:स्थापित।

[9खख] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 744(ङ) द्वारा लोप किया गया।

[9ग] दिनांक 26 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 701(ङ) द्वारा अन्त:स्थापित।

[10][परन्तु सदस्य के निवास के बदलने के लिए दूसरा मकान दिए जाने पर खाली किए जाने वाले मकान तथा अधिकृत किये जाने वाले मकान को उस अवधि के जिसके दौरान दोनों मकानों पर उसका कब्जा हो नियम 2 में विनिर्दिष्ट दर से [10क]{एक निवास स्थान के लिए} [10ख]{अनुज्ञाप्ति फीस} देकर तीन दिन से अनधिक समय तक अपने पास रखने का हक होगा।]

---

10 दिनांक 7 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1227द्वारा प्रतिस्थापित।

10क दिनांक 28 अक्टूबर, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1169(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

10ख दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 13(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

चिकित्सा सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1959

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1959

सा0का0नि0 1253- निम्नलिखित नियम, जो संसद सदस्य वेतन-भत्ता अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (घघघ) द्वारा इसे प्रदत्त शाक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के बाद बनाये गये हैं उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा, अपेक्षित रूप में राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित तथा पुष्ट कर दिए गए हैं, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते है:-

चिकित्सा सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1959
(30 अगस्त, 1997 तक संशोधित रूप में)

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) ये नियम चिकित्सा सुविधायें (संसद सदस्य) नियम, 1959 कहलायेंगे।

(2) ये 16 नवम्बर, 1959 को प्रवृत होंगे।

2. **मिलने वाली चिकित्सा सुविधायें** - [1]संसद सदस्य [अपनी पदावधि में] उन्हीं चिकित्सा सुविधाओं को पाने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय असैनिक सेवा, श्रेणी 1 के पदाधिकारियों को, जिनका प्रधान कार्यालय दिल्ली या नई दिल्ली में है, [2][समय-समय पर प्रवृत] दिनांक पहली मई 1954 के स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्ञापन संख्या एफ 6(1)-1.54 होस्प0 में दी गई केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन उपलब्ध है।

[3][3. अभिदाय - प्रत्येक संसद सदस्य के एक अनिवार्य मासिक अभिदाय उसी दर पर उद्गृहीत किया जाएगा, जो उच्चतम सिविल सेवक द्वारा संदेय होगा और ऐसा अभिदाय सदस्य के मासिक वेतन बिल से वसूलीय होगा।]

[संख्या एफ. 130-एम0एस0ए0 59III]

---

1 दिनांक 14 अप्रैल, 1960 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 431 द्वारा अन्त:स्थापित।

2 दिनांक 12 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 1888 द्वारा प्रतिस्थापित।

3 दिनांक 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 509 (ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

संसद सदस्य (विदेश यात्रा के लिए भत्ते) नियम, 1960

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1960

सा0का0नि0 830 - निम्नलिखित नियम, जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (घघघ) द्वारा इन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के बाद बनाये गये हैं, और उस धारा की उप-धारा (4) द्वारा, अपेक्षित रूप में राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित तथा पुष्ट कर दिए गए हैं, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते है:-

संसद सदस्य (विदेश यात्रा के लिये भत्ते) नियम, 1960

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः - (1) ये नियम संसद सदस्य (विदेश यात्रा के लिए भत्ते) नियम, 1960 कहलायेंगे।

(2) ये 30 दिसम्बर, 1958 से प्रवृत समझे जाएंगे परन्तु इन नियमों के राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने से पहले ही तय किया जा चुका कोई दावा इन नियमों में निहित किसी उपबंध के कारण फिर से उठाया नहीं जाएगा।

2. विदेश यात्रा के संबंध में भत्ते - जहां सदस्य के नाते अपने कर्त्तव्यों के पालन में निमित्त कोई सदस्य भारत से बाहर कोई यात्रा करे, तो वह ऐसी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित यात्रा और अन्य भत्तों का हकदार होगा, अर्थात्:-

(एक) (1) **यात्रा भत्ता:-** सदस्य द्वारा भारत में की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता संदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 की धारा 4 और उसकी धारा 9 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार विनियमित होगा।

(2) **मार्ग व्यय:-** भारत से बाहर की गई यात्रा के लिए भारत में विमान या जहाज पर चढ़ने के अन्तिम हवाई अड्डे या बन्दरगाह से विदेश में जिस स्थान को जाये वहां तक और वहां वे वापस आने के निकटतम मार्ग से निःशुल्क वापसी विमान-रेल-व-समुद्र मार्ग व्यय विमान और रेल यात्राओं में पहले दर्जे का और समुद्र से यात्रा में पहले दर्जे-सी श्रेणी का अथवा इससे किसी निम्न श्रेणी का, जिससे सदस्य वस्तुतः यात्रा करे, मार्ग व्यय दिया जायेगा। रेल यात्रा में रात्रि के समय सोने का स्थान (स्लिपिंग बर्थ) शामिल होगा।

(3) **सामान:-** सदस्य अपने साथ [1](40 किलोग्राम) तक सामान जिसमें वायु परिवहन कम्पनियों द्वारा जितना सामान नि:शुल्क ले जाने की अनुमति है वह भी शामिल है, ले जा सकता है।

(दो) (1) **दैनिक भत्ता:-** विदेश में अपने कार्य के सिलसिले में काम के स्थान पर बिताई गई रातों के आधार पर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के श्रेणी-I के पदाधिकारी को जितना दैनिक भत्ता मिल सकता है उतना दिया जाएगा।

(2) रेल यात्रा की अवधि में भी दो-तिहाई भत्ता दिया जाएगा, यदि दिये गये रेल भाड़े मे भोजन का खर्च शामिल न किया गया हो।

(3) भारत से बाहर भेजे जाने की अवधि के लिए सदस्यों को किन्हीं अन्य नियमों के अधीन मिल सकने वाला दैनिक भत्ता लेने का हक नहीं होगा।

(तीन) अन्य व्यय:- सदस्य निम्नलिखित का हकदार है:-

(1) रास्ते में जहां बाध्य होकर रुकना पड़े और वायु कंपनियां भोजन तथा निवास की व्यवस्था न करें वहां रुकने के स्थान पर मिलने वाले अधिकतम दैनिक भत्ते की राशि पर नि:शुल्क भोजन और निवास का व्यय;

(2) रसीदें प्रस्तुत करने पर पारपत्र शुल्क और चेचक के टीके तथा अन्य टीकों के प्रमाण-पत्रों पर वास्तविक व्यय;

(3) आवश्यक वाउचर प्रस्तुत करने का कर्तव्य पालन के समय किये गये आनुषंगिक व्यय, जैसे बख्शीश, टैक्सी का किराया और घोड़ा/गाड़ी का भाड़ा:

परन्तु यह कि जहां वस्तुत: किये गये या आनुषंगिक व्यय की रसीदें या वाउचर उपलब्ध न हों तो व्यय सदस्य के इस प्रमाण-पत्र के आधार पर दे दिया जाएगा कि यह वस्तुत: किया गया था।

3. जो सदस्य नियम 2, (III) के अधीन वास्तविक या आनुषंगिक व्यय की मांग करे उसे निम्नलिखित रूप में प्रमाण-पत्रों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि करनी होगी:-

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि पारपत्र शुल्क, चेचक के टीके और अन्य टीकों के प्रमाण-पत्रों पर किये गये व्यय प्रतिनिधिमंडल के काम के हित में थे और टैक्सी के किराये आदि की दरें प्रचालित दरों के अनुसार हैं तथा इन चीजों पर किया गया व्यय उचित था।

---

[1] 12 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा० का० नि० 1889 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि बख्शीश का व्यय, जो बीजक में शामिल किया गया है वस्तुतः किये गये व्यय से अधिक नहीं है।

[संख्या 61-एम0एस0ए0/59]

संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम, 1986

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1986

[1]सा0का0नि0 11 (अ)- निम्नलिखित नियम, जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954(1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये तथा जिनका राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैः-

संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम, 1986
(12 दिसम्बर, 2006 तक संशोधित रूप में)

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ते की रकम:-** कोई सदस्य, संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 8 के अधीन [2][बीस हजार] रुपये प्रतिमास की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा।

3. **निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता अन्य भत्तों आदि के अतिरिक्त होगा:-** शंकाओं को दूर करने के लिए, यह धोषित किया जाता है कि इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय निर्वाचन संबंधी भत्ता, तत्समय प्रवृत किन्हीं अन्य नियमों के अधीन अनुज्ञेय किन्हीं अन्य भत्तों या सुविधाओं के (चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में) अतिरिक्त होगा न कि उनके अल्पीकरण में।

4. **निरसन:-** संसद सदस्य (अतिरिक्त सुविधा) नियम, 1975 इसके द्वारा निरसित किये जाते है।

[फा0सं02/1/एम0एस0ए0/85]

---

[1] दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित।

[2] दिनांक 1दसिम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 746 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

संसद सदस्य (वाहन क्रय अग्रिम) नियम, 1986

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1986

[1]सा0का0नि0 12(अ)- निम्नलिखित नियमों को, जिन्हें संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति के उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (चच) द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात् बनाया है और जिन्हें उस धारा की उपधारा (4) द्वारा यथापेक्षित रूप में राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष ने अनुमोदित और पुष्ट कर दिया है,सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते है:-

संसद सदस्य (वाहन क्रय अग्रिम) नियम, 1986
(31 अगस्त, 1998 तक संशोधित रूप में)

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (वाहन क्रय अग्रिम) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **अग्रिम की अधिकतम रकम:-** वह अधिकतम रकम जो किसी सदस्य को वाहन खरीदने के लिये उधार दी जा सकेगी, [2][एक लाख रुपये] या उस वाहन की जिसे खरीदने का विचार है, वास्तविक कीमत से, इन में से जो भी कम है, अधिक नहीं होगी:

परन्तु ऐसी किसी दशा में जिसमें वाहन पहले ही खरीदा जा चुका हो और उसका पूरा भूगतान कर दिया गया हो अग्रिम की कोई रकम अनुज्ञेय नहीं होगी:

परन्तु यह और कि जहां यह भुगतान भागत: किया गया हो, वहां अग्रिम की रकम सदस्य द्वारा यथा प्रमाणित, भुगतान की जाने वाली शेष राशि तक ही समिति होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अग्रिम की रकम राष्ट्रपति के नाम में मंजूर की जायेगी और अधिप्रमाणित (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 के उपबंधों के अनुसार अधिप्रमाणित की जायेगी।

3. अग्रिम का प्रतिसंदाय:- (1) नियम 2 के अधीन दिये गये अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली संबंधित सदस्य के वेतन बिल से अधिक से अधिक साठ बराबर मासिक किस्तों में की जायेगी जिनकी अवधि सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी:

---

[1] दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित।

[2] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 746 (अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यदि अग्रिम लेने वाला सदस्य ऐसा चाहे तो राज्य सभा का सभापति अथवा लोक सभा का अध्यक्ष, यथास्थिति, अग्रिम की वसूली कम किस्तों में अनुज्ञात कर सकता है।

स्पष्टीकरण:- मासिक किस्तों में वसूल की जाने वाली अग्रिम की रकम पूरे-पूरे रुपयों में नियत की जायेगी सिवाय अन्तिम किस्त के, जब शेष बकाया रकम, जिसमें रुपये की भिन्न भी है, वसूल की जाये।

(2) अग्रिम की वसूली उसके लिये जाने के बाद दिये जाने वाले पहले वेतन से शुरू होगी।

(3) उक्त अग्रिम पर साधारण ब्याज, केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिये वाहन अग्रिम पर निर्धारित दर पर लिया जायेगा।

(4) यदि कोई सदस्य अग्रिम का पूर्णतः प्रतिसंदाय किये जाने से पूर्व अपनी सदस्यता छोड़ देता है तो शेष बकाया राशि, उस पर ब्याज सहित तुरंत केन्द्रीय सरकार को एकमुश्त राशि से संदत्त की जायेगी।

4. वाहन का विक्रय :- (1) उस दशा के सिवाय जब कोई सदस्य, सदस्य नहीं रहता है, सदस्य अग्रिम की सहायता से क्रय किये गये वाहन के विक्रय के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी लेगा, यदि ऐसा अग्रिम इस पर उद्भूत ब्याज सहित पूर्णतः प्रतिसंदाय नहीं कर दिया गया है।

(2) जहां कोई सदस्य उक्त वाहन का अन्तरण किसी अन्य सदस्य को करना चाहता है, वहां उसे उस वाहन से संबद्ध दायित्व के पश्चात् कथित सदस्य को अन्तरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा। परन्तु यह तब जब वाहन खरीदने वाला सदस्य यह घोषणा अभिलिखित करे कि उसे इस बात का पता है कि उसे अन्तरित वाहन बंधक किया हुआ है और वह उसके निबंधनों और उपबंधों से आबद्ध है।

(3) उन सभी मामलों, जहां किसी वाहन का विक्रय, उसके क्रय के लिये किये गये अग्रिम और उस पर ब्याज का पूर्णतः प्रतिसंदाय किये जाने से पूर्व किया जाता है, वह विक्रय आगम का उपयोग, जहां तक आवश्यक हो, ऐसे शेष बकाया के प्रतिसंदाय के लिये किया जाना चाहिये:

परन्तु जब वाहन का विक्रय इस दृष्टि से किया जाता है कि दूसरा वाहन खरीदा जा सके, तब केन्द्रीय सरकार विक्रय आगम का ऐसी खरीद के लिये उपयोग किये जाने के लिए सदस्य को निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए अनुज्ञात कर सकेगी, अर्थात्:-

(क) शेष बकाया रकम नये वाहन की लागत से अधिक नहीं होने दी जायेगी;

(ख) शेष बकाया रकम का पूर्व नियत दर पर प्रतिसंदाय किया जाता रहेगा; और

(ग) नये वाहन का बीमा भी करवाया जायेगा और उसे केन्द्रीय सरकार के पास बंधक किया जायेगा।

5. अवधि जिसके वाहन खरीदने के लिये बातचीत पूरी की जा सकेगी:- अग्रिम लेकर वाहन खरीदने वाला सदस्य वाहन खरीदने की बातचीत पूरी करके उसका अंतिम संदाय अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर

करेगी और ऐसी बातचीत पूरी करने संदाय करने में असफल रहने पर, लिये गये अग्रिम की पूरी रकम, उस पर एक मास के ब्याज सहित केन्द्रीय सरकार को सदस्य द्वारा वापस कर दी जायेगी।

6. करार का निष्पादन:-(1) अग्रिम लेते समय प्रपत्र-1 में एक करार निष्पादित करेगा और खरीद पूरी होने पर वह अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन केन्द्रीय सरकार को आडमान करते हुए प्रपत्र-2 में एक बंध पत्र निष्पादित करेगा।

(2) वाहन की कीमत प्रपत्र 2 में बंध के साथ संलग्न विनिदेशों की अनुसूची में प्रविष्ट की जाएगी।

7. वेतन और लेखा अधिकारी को प्रमाण-पत्र:- (1) जब कोई अग्रिम लिया गया हो, तब मंजूरी प्राधिकारी, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भेजेगा कि अग्रिम लेने वाले सदस्य ने प्रपत्र-1 में करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और वह ठीक पाया गया है।

(2) मंजूरी प्राधिकारी यह देखेगा कि वाहन की खरीद अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर की जाती है और वह प्राधिकारी सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित बंध पत्र को अन्तिम रूप से रिकार्ड किए जाने से पूर्व यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को उसकी परीक्षा के लिए तत्काल प्रस्तुत करेगा।

8. बंध पत्र की सुरक्षित अभिरक्षा और उसका रद्द किया जाना:- (1) बंध पत्र मंजूरी प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(2) जब अग्रिम का पूर्णत: प्रतिसंदाय कर दिया गया हो, तब अग्रिम और उस पर ब्याज के पूर्ण प्रतिसंदाय के बारे में, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी से प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् बंध पत्र सम्यकत: रद्द करके संबंधित सदस्य को वापस कर दिया जाएगा।

9.वाहन का बीमा:- अग्रिम से खरीदे गए वाहन अग्नि, चोरी और दुर्धटना से पूरी हानि के लिए बीमा कराया जाएगा और बीमा पालिसी में (प्रपत्र III के रूप में) एक खंड होगा जिसके द्वारा बीमा कंपनी वाहन को ऐसी हानि या नुकसान की बाबत, जिसकी प्रतिपूर्ति, मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की जाती है, संदेय किन्हीं राशियों का संदाय स्वामी के बजाय केन्द्रीय सरकार को करने के लिए करार करती है।

***प्रपत्र-I**

(नियम 6 देखिए)

वाहन खरीदने के लिये अग्रिम लेते समय निष्पादित किए जाने वाले करार का प्रारूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री.......................... जो, संसद सदस्य है (जिन्हें इसमें आगे उधार लेने वाला कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि अौर समानुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकर के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख .... को किया गया;

उधार लेने वाले ने वाहन खरीदने के लिए संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन बनाए गए उन नियमों के उपबंधो के अधीन जिनमें संसद सदस्यों को वाहन के क्रय के लिए अग्रिम मंजूर करने का विनियमन किया गया है, वाहन खरीदने के लिए ....रु0 (..................रुपये) उधार दिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है और केन्द्रीय सरकार उधार लेने वाले को उक्त रकम इसमें आगे दिये गये उपबंधो और शर्तो पर देने के लिये सहमत हो गई है;

इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि उधार लेने वाले को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई ....रुपये की राशि (जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाले ने इसके द्वारा अभिस्वीकार की है) के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला केन्द्रीय सरकार के साथ यह करार करता है कि वह (1) उक्त नियमों के अनुसार संगणित ब्याज सहित उक्त रकम का केन्द्रीय सरकार को संदाय अपने वेतन में से प्रतिमास कटौती कराके करेगा जैसा कि उक्त नियमों द्वारा उपबंधित है और ऐसी कटौतियां करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राधिकृत करता है; और (2) इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर उक्त उधार की पूरी रकम वाहन खरीदने में व्यय करेगा या यदि उसके द्वारा संदेय वास्ताविक कीमत उधार की रकम से कम है तो शेष रकम केन्द्रीय सरकार को तुरन्त वापस कर देगा और उधार लेने वाले को पूर्वोक्त रूप में उधार दी गई रकम और उस पर ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन को केन्द्रीय सरकार के पक्ष में आडमान रखने वाला दस्तावेज उक्त नियमों द्वारा उपबंधित प्ररूप में निष्पादित करेंगा। अन्त में यह करार किया जाता है और धोषणा की जाती है कि यदि इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर वाहन नहीं खरीदा जाता है और आडमान नहीं रखा जाता है या यदि उघार लेने वाला उक्त अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या सदस्य नहीं रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उघार की पूरी रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज शोघ्य और संदेय हो जाएगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप उधार लेने वाले ने ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त श्री .... ने .... की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

---

* दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 12 (अ) द्वारा अन्तःस्थापित।

[*]प्रपत्र-II

(नियम 6 देखिए)

वाहन के लिए बन्धक पत्र का प्रारूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री .... (जिन्हें इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख .... को किया गया। उधार लेने वाले ने वाहन खरीदने के लिए संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम,1954 के अधीन बनाए गए, संसद सदस्यों को वाहन के क्रय के लिए अग्रिम मंजूर करने से संबंधित नियमों के अनुसार (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है) वाहन खरीदने के लिए .... रु0 (......................................रुपये) उधार दिए जाने के लिए आवेदन किया है और उसे वह मंजूर कर दिया गया है और उधार लेने वाले को जिन शर्तों पर अग्रिम दिया है/दिया गया था उनमें से एक शर्त यह है/थी कि उधार लेने वाला उसे उधार दी गई रकम के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन केन्द्रीय सरकार को आडमान रखेगा और उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त रूम में उधार दी गई रकम से या उसके भाग से वाहन खरीदा है, जिसकी विशिष्टियां इसके नीचे लिखी अनुसूची में दी गई हैं।

यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए उधार लेने वाला यह प्रसंविदा करता है कि वह पूर्वोक्त ....रु0 की राशि या उसके उस अतिशेष का जो उस विलेख की तारीख को असंगत रह जाता है। ....रु0 (.........................रुपये) की सामान किस्तों में प्रत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा और उस समय शोध्य और देय रह गई राशि पर उक्त नियमों के अनुसार संगणित ब्याज का संदाय करेगा और उधार लेने वाला यह करार करता है कि ऐसी किस्तें उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित रीति से उसके वेतन में से मासिक कटौतियां करके वसूल कर ली जाएं और उक्त करार के अनुसरण में उधार लेने वाला वाहन का, जिसकी विशिष्टियां नीचे लिखी अनुसूची में उपवर्णित हैं, उक्त अग्रिम और उस ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त नियमों द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय सरकार को समनुदेशन और अन्तरण करता है।

उधार लेने वाला यह करार करता है और यह घोषणा करता है कि उसने उक्त वाहन के क्रय की पूरी कीमत का संदाय कर दिया है, वह उसकी आत्यन्तिक संपत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रखा है और जब तक उक्त अग्रिम के संबंध में कोई धनराशि केन्द्रीय सरकार को संदेय रहती है तब तक वह उक्त वाहन का विक्रय नहीं करेगा, उसे गिरवी नहीं रखेगा और उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को नहीं छोड़ेगा, परन्तु सदैव यह है और यह करार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन या ब्याज की उक्त किस्तों में से कोई किस्त देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर नहीं दी जाती है या पूर्वोक्त रूप में वसूल नहीं की जाती है या, यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या वह किसी समय नहीं रहता है या, यदि उधार लेने वाला उक्त वाहन का विक्रय कर देता है या

---

[*] दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 12 (अ) द्वारा अन्तःस्थापित।

उसे गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व अथवा कब्जे को छोड़ देता है या वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है या यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के विरूद्ध किसी बिक्री या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही आरम्भ कर देता है तो उक्त मूलधन की पूरी राशि जो उस समय देय हो किन्तु जिसका संदाय न किया गया हो उस पर पूर्वोत्तर रूप से संगणित ब्याज सहित तुरन्त संदेय हो जाएगी और इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इसके पूर्व उल्लिखित घटनाओं में से किसी घटना के होने पर केन्द्रीय सरकार उक्त वाहन का अधिग्रहण कर सकेगी और उसे कब्जे में ले सकेगी और या तो उसको हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेगी या उसे हटा सकेगी और सार्वजनिक नीलामी द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा उक्त वाहन का विक्रय कर सकेगी और विक्रय से प्राप्त धनराशि में उसे उक्त उधार का उस समय असंदत्त रह गया शेष भाग और पूर्वोक्त रूप में संगणित और उस पर देय ब्याज और इसके अधीन अपने अधिकारों को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से किए गए सब खर्च, प्रभार व्यय और संदायों की राशि अपने पास प्रतिधारित रख सकेगी और यदि कोई धनराशि शेष रहती है तो उसे उधार लेने वाले उसके निष्पादकों, प्रशासकों, या वैयक्तिक प्रतिनिधियों को दे देगी, परन्तु यह और कि उक्त वाहन का कब्जा लेने या उसका विक्रय करने की पूर्वोक्त शक्ति से उधार लेने वाले या उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त शेष देय रह गई रकम और ब्याज के लिए या, यदि वाहन का विक्रय किया जाता है तो उतनी रकम के लिए केन्द्रीय सरकार के वाद लाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जितनी भी विक्रय से प्राप्त शुद्ध अग्रिम देय रकम से कम रह जाते हैं और उधार लेने वाला यह करार भी करता है कि जब तक कोई धनराशि केन्द्रीय सरकार को शोघ्य और देय रहती है तब तक अधार लेने वाला उक्त वाहन का अग्नि, चोरी या दुर्धटना से हानि या नुकसान के विरूद्ध ऐसी बीमा कंपनी में जिसका संबंधित महालेखाकार द्वारा अनुमोदन किया जाये, बीमा कराएगा और बीमा चालू रखेगा तथा महालेखाकार के समाधानप्रद रूप में इस बात का साक्ष्य पेश करेगा कि उस मोटर बीमा कंमनी को, जिसमें उक्त मोटर यान का बीमा कराया गया है यह सूचना मिल चुकी है कि उस पालिसी में केन्द्रीय सरकार (भारत के राष्ट्रपति) हितबद्ध है और उधार लेने वाला यह करार भी करता है कि उक्त वाहन को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करने देगा या नही होने देगा या उसमें युक्तियुक्त टूट-फूट से अधिक टूट-फूट नही होने देगा और यदि उक्त वाहन को कोई नुकसान पहुंचता है या उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उधार लेने वाला उसकी तुरन्त मरम्मत कराएगा और उसे ठीक करा लेगा।

अनुसूची

वाहन का वर्णन

निर्माता का नाम

वर्णन

सिलेंडरों की संख्या

इंजन सं0

चेसिस सं0

लागत कीमत

इसके साक्ष्यस्वरूप इसमें ऊपर लिखी तारीख को उक्त (..................) ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ....

(उधार लेने वाले का नाम)

.... ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
उक्त..

1. ....
2. ....
(साक्षियों के हस्ताक्षर) (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर और पदनाम)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
....ने
(नाम औद पदनाम)

1. ....
2. ....
(साक्षियों के हस्ताक्षर) (अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

उधार लेने वाले का नाम और पदनाम ....

[*]प्रपत्र-III

(नियम 9 देखिए)

बीमा पालिसियों में जोड़े जाने वाले खंड का प्रारूप

1. यह घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि श्री .... (वाहन का स्वामी, जिसे इसमें आगे इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है) ने वाहन केन्द्रीय सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को उस अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में आडमान कर दिया है जो उस वाहन के खरीदने के लिए लिया गया है। यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है उक्त सरकार (राष्ट्रपति) ऐसे धन में हितबद्ध है जो यदि यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री .... (इस पालिसी के अधीन बीमाकृत) को उक्त वाहन की हानि या उसको हुए नुकसान की बाबत (जिस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति, मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है) संदेय होता। ऐसा धन सरकार (राष्ट्रपति) को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वह वाहन का बंधकदार है और उसकी रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की बाबत कंपनी ने पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया है।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करार किया गया है उसके सिवाय इसको किसी भी बात से बीमाकृत के या कंपनी के इस पालिसी के अधीन या संबंध में अधिकारों या दायित्वों का अथवा इस पालिसी के किसी निबंधन, उपबंध या शर्त का न तो उपांतरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा।

[फा0सं02/1/एम0एस0ए085]

महासचिव

---

[*] दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 12 (अ) द्वारा अन्त:स्थापित।

संसद सदस्य (कार्यालय-व्यय भत्ता) नियम, 1988

[1]सा0का0नि0 1093(अ): निम्नलिखित नियम, जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा, उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् बनाए गए है, और उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट कर दिए गए हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं:-

संसद सदस्य (कार्यालय-व्यय भत्ता) नियम, 1988
(03 जुलाई, 2007 तक संशोधित रूप में)

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (कार्यालय-व्यय भत्ता) नियम, 1988 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1988 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क "अधिनियम" से संसद सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 अभिप्रेत है।

(ख) "कार्यालय-व्यय" से लेखन सामग्री, डाक टिकट और लिपिकीय सहायता संबंधी ऐसे व्यय अभिप्रेत हैं, जो अन्य नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

[2][**3. कार्यालय-व्यय भत्ते की रकम:** कोई संसद् सदस्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन (बीस हजार रुपए प्रति मास) की दर से कार्यालय-व्यय भत्ता पाने का हकदार होगा, जिसमें से-

(क) चार हजार रुपए लेखन सामग्री मदों पर व्यय की पूर्ति के लिए होंगे,

[2क](ख) दो हजार रुपए, पत्रों की फ्रेंकिंग पर व्यय की पूर्ति के लिए होंगे,

और लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, चौदह हजार रुपये तक का संदाय ऐसे व्यक्ति (यों) को कर सकेंगे जिसे संसद सदस्य ने सचिवालय सहायता प्राप्त करने के लिए लगाया हो और ऐसा व्यक्ति संसद सदस्य द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित कम्प्यूटर साक्षर होगा।]

---

[1] दिनांक 25 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित 1.4.1988 से प्रभावी।

[2] दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 747(अ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2क] दिनांक 3 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड़ 3, उपखंड(i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 460 (अ) द्वारा पतिस्थापित।

4. कार्यालय-व्यय भत्ता अन्य भत्तों के अतिरिक्त होगा:- संदेह दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यालय-व्यय भत्ता, इस समय प्रवृत्त अन्य किन्हीं नियमों के अधीन अनुज्ञेय अन्य भत्तों या सुविधाओं (नकद या वस्तु के रूप में) के अतिरिक्त होगा, न कि उनके अल्पीकरण में।

[फा0सं025/1/एम0एस0ए0/88]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

(i) संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता) संशोधन नियम, 1988

(ii) संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ता) संशोधन नियम, 1988

(iii) आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) संशोधन नियम, 1988

(iv) संसद सदस्य (कार्यालय-व्यय भत्ता) नियम, 1988

(v) संसद सदस्य (वाहन-क्रय अग्रिम) संशोधन नियम, 1988

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन गठित संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधी संयुक्त समिति ने संसद सदस्यो की यात्रा और दैनिक भत्ते में वृद्धि, लिपिकीय सुविधाएं, निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता, सड़क मील भत्ता, वाहन खरीदने इत्यादि की कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की नवम्बर, 1987 में सिफारिश की थी। कुछ सिफारिशों को 1 अप्रैल, 1988 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के उद्देश्य से संसद ने संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1988(1988 का अधिनियम 60) अधिनियमित किया था।

सरकार का प्रस्ताव है कि समिति की सिफारिशों और उपर्युक्त अधिनियम को 1 अप्रैल, 1988 से प्रभावी किया जाना चाहिए। अत: विद्यमान नियमों का संशोधन करने और नए नियम अर्थात् संसद सदस्य (कार्यालय-व्यय भत्ता) नियम, 1988 बनाने और उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का प्रस्ताव है। चूंकि नियमों का संशोधन करने/नियम बनाने का उद्देश्य अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है, उक्त नियमों का संशोधन करने/नियम बनाने और उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से लागू करन से किसी भी संसद सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

संसद सदस्य वेतन और भत्ते संबंधी संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की थी कि संसद सदस्य को दिल्ली में या अपने निर्वाचन क्षेत्र में 14,000 रुपय प्रति माह की कुल धनीय सीमा के भीतर सचिवीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी संख्या में व्यक्तियों को लगाने के लिए अनुज्ञात किया जाए, जिसमें से कम से कम एक कम्प्यूटर साक्षर व्यक्ति होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की कम्प्यूटर साक्षरता के बारे में संसद सदस्य द्वारा प्रमाणन पर्याप्त होगा। अनेक संसद सदस्यों ने कथन किया है कि उन्होंने पहले ही तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन सचिवीय सहायता के लिए दिल्ली में एक से अधिक व्यक्तियों को लगाया हुआ है। अतः उपरोक्त उपांतरण 12.12.2006 से प्रभावी होने चाहिए।

इस विषय की सरकार द्वारा परीक्षा की गई है और यह विनिश्चित किया गया है कि चूंकि इसमें कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं है और प्रस्तावित संशोधन अधिक नमनीयता का उपबंध करने की प्रकृति के हैं। अतःइन संशोधनों को इस संबंध में पूर्वत्तर अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख 12 दिसम्बर, 2006 से प्रभावी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संशोधनकारी नियमों को जारी करने और उन्हें भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी संसद सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।